बिहार सरकार

# गन्ना उद्योग विभाग

# वार्षिक प्रतिवेदन
# 2022–23

ईखायुक्त तथा अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ हरिहरनाथ क्षेत्र सोनपुर मेला में गन्ना उद्योग विभाग द्वारा स्थापित प्रदर्शनी में सुगर कम्प्लेक्स के मॉडल का अवलोकन करते हुए माननीय मंत्री **श्री आलोक कुमार मेहता**

ईखायुक्त तथा अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ हरिहरनाथ क्षेत्र सोनपुर मेला में गन्ना उद्योग विभाग द्वारा स्थापित प्रदर्शनी में अन्तवर्त्ती खेती की विशेषताओं की जानकारी लेते हुए माननीय मंत्री **श्री आलोक कुमार मेहता**

बिहार सरकार

# गन्ना उद्योग विभाग

# वार्षिक प्रतिवेदन

# 2022-23

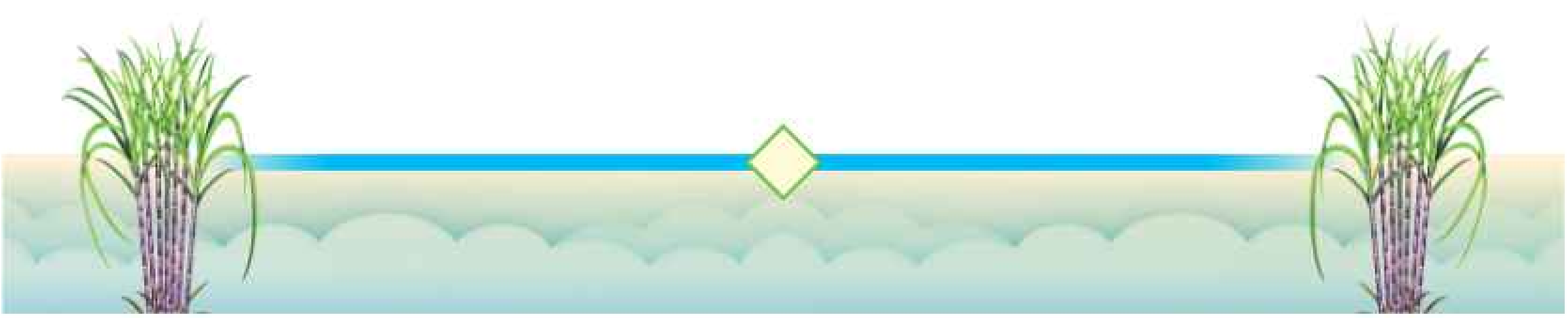

**आलोक कुमार मेहता**

**मंत्री**

**गन्ना उद्योग विभाग**

बिहार सरकार, पटना


बिहार सरकार

# संदेश

बिहार में कृषि योग्य भूमि करीब 53.95 लाख हेक्टेयर है जिसमें से लगभग 3.00 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती होती है। इस प्रकार राज्य में गन्ने की खेती के विकास की प्रचुर सम्भावनाएं विद्यमान हैं। चीनी एवं उसके अनुषंगी उद्योग, विशेष कर इथेनाल एवं विद्युत सह–उत्पादन के क्षेत्र में निवेश के काफी अवसर हैं। इसी कारण सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से गन्ना आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है।

गन्ना आधारित उद्योग में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सरकार ने 2006 में एक प्रोत्साहन योजना घोषित किया। इस प्रोत्साहन योजना में नये चीनी मिल कॉम्प्लेक्स की स्थापना तथा स्थापित चीनी मिलों की क्षमता विस्तार के लिए विभिन्न प्रकार की छूट, रियायतें, प्रतिपूर्त्ति एवं अनुदान के प्रावधान किये गये हैं। राज्य में उद्योग की स्थापना एवं गन्ना के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार को परामर्श हेतु विशेषज्ञ परामर्शदातृ का गठन तथा गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में सड़क एवं सिंचाई की व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण आदि की योजनाओं को चिन्हित कर उनका कार्यान्वयन करवाया गया।

सरकार के निर्णयानुसार सार्वजनिक क्षेत्र की 15 बन्द चीनी मिलों एवं दो डिस्टीलरियों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से एस॰बी॰आई॰ कैप्स को वित्तीय सलाहकार नियुक्त किया गया। एस॰बी॰आई॰ कैप्स से प्राप्त डायग्नोस्टिक स्टडी, ऐसेट भैलुऐशन एवं फिजिविलिटी प्रतिवेदन के आधार पर कुल पांच निविदाऐं आमंत्रित करने की कार्रवाई सम्पन्न की गई है।

इन निविदा प्रक्रियाओं के माध्यम से गन्ना आधारित उद्योग एवं अन्य उद्योग के रूप में पुनर्जीवित करने के प्रयोजनार्थ बिहार राज्य चीनी निगम लि० की 7 इकाइयों यथा लौरिया (डिस्टीलरी सहित) एवं सुगौली इकाई एच॰पी॰सी॰एल॰ बॉयोफ्यूयेल्स को, मोतीपुर इकाई इंडियन पोटाश लिमिटेड को, रैयाम एवं सकरी ईकाई मेसर्स तिरहुत इण्डस्ट्रीज को, बिहटा ईकाई प्रिस्टाईन मगध इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा० लि० को एवं समस्तीपुर इकाई विनसम इन्टरनेशनल लि०, कोलकाता को हंस्तातरित किया गया।

द्वितीय निविदा प्रक्रिया के फलाफल के आधार पर रैयाम एवं सकरी इकाई मे० तिरहुत इण्डस्ट्रीज लि० को हस्तांतरित की गयी। लीज डीड की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण उक्त दोनों इकाई हेतु निवेशक से किये गये एकरारनामा को रद्द कर दिया गया है। तृतीय निविदा प्रक्रिया के माध्यम से मोतीपुर इकाई मे० इंडियन पोटाश लि० को तथा बिहटा इकाई प्रिस्टाईन मगध इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा० लि० को हस्तांरित किया गया। वर्तमान में उक्त दोनों इकाई का मामला माननीय न्यायालय में लंबित है।

बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड की शेष बची 08 (आठ) इकाइयों यथा हथुआ (डिस्टीलरी सहित) वारिसलीगंज, गुरारू, गोरौल, सिवान, न्यू सावन, लोहट, बनमंखी एवं उपलब्ध अतिरिक्त फार्म लैण्ड कुल 2442.41 एकड़ भूमि को सरकार के निर्णयानुसार Priority Sector उद्योगों की स्थापना हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) को हस्तांतरित कर दिया गया है।

बंद चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने के प्रयास के साथ–साथ कार्यरत चीनी मिल के क्षमता विस्तार एवं नयी चीनी मिल की स्थापना की दिशा में भी विभाग द्वारा कारगर कदम उठाये गये हैं। यह स्वतः परिलक्षित करता है कि बदले परिवेश में अनुकूल वातावरण तैयार होते हीं निवेशक इस ओर आकर्षित होने लगे हैं। हरिनगर चीनी मिल द्वारा अपनी डिस्टीलरी क्षमता को 120 के॰एल॰पी॰डी॰ से 140 के॰एल॰पी॰डी॰ विस्तारित किया गया है जिसे 200 के॰एल॰पी॰डी॰ तक क्षमता का विस्तारित किये जाने की कार्य योजना है। इसी प्रकार मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि0 इकाई–भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया एवं इकाई–न्यू स्वदेशी सुगर मिल, नरकटियागंज द्वारा भी इथेनॉल का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है। मेसर्स तिरूपति सुगर्स लि०, बगहा द्वारा अपने पेराई क्षमता को 8000 टी०सी०डी० तक विस्तारित किया जा चुका है एवं 200 के॰एल॰पी॰डी॰ डिस्टीलरी की स्थापना की जा रही है। मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि0 इकाई–न्यू स्वदेशी सुगर मिल, नरकटियागंज द्वारा अपने पेराई क्षमता को 7500 टी०सी०डी० तक विस्तारित किया है तथा मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि० इकाई–भारत सुगर मिल, सिधवलिया, विष्णु सुगर्स लि०, गोपालगंज, मझौलिया सुगर मिल, रीगा चीनी मिल एवं चीनी मिलों द्वारा अपने पेराई क्षमता को विस्तारित कर 5000 टी॰सी॰डी॰ किया गया है। मंझौलिया चीनी मिल द्वारा 45 के॰एल॰पी॰डी॰ एवं सिधवलिया चीनी मिल द्वारा 75 के॰एल॰पी॰डी॰ की क्षमता की डिस्टीलरी की स्थापना की जा चुकी है। न्यू स्वदेशी सुगर मिल, नरकटियागंज द्वारा अपने डिस्टीलरी की क्षमता को 30 के॰एल॰पी॰डी॰ से 60 के॰एल॰पी॰डी॰,तक विस्तारित किया गया है। नरकटियागंज, सिधवलिया, हरिनगर, हसनपुर एवं बगहा चीनी मिलों द्वारा अपने चीनी मिलों के साथ सह–विद्युत उत्पादन इकाई की स्थापना कर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ऊर्जा दी जा रही है। हरिनगर एवं नरकटियागंज डिस्टीलरियों द्वारा इथेनाल की आपूर्त्ति हेतु तेल कम्पनियों से एकरारनामा कर उसकी आपूर्त्ति तेल कम्पनियों को की जा रही है। हसनपुर चीनी मिल द्वारा भी अपने क्षमता को 5000 टी.सी.डी. से 6500 टी.सी.डी. तक क्षमता विस्तार किया जा रहा है

तथा चीनी मिल के साथ 10 मेगावाट की सह विद्युत उत्पादन इकाई भी स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त नरकटियागंज एवं हरिनगर चीनी मिल के डिस्टीलरी इकाई द्वारा हैण्ड सैनेटाईजर का भी उत्पादन किया जा रहा है।

राज्य में शराब के उत्पादन एवं बिक्री पर पूर्णरूप से रोक लगा दी गई है। ऐसी स्थिति में राज्य के डिस्टीलरियों को सम्पूर्ण छोआ से इथेनॉल निर्माण हेतु अनुमति दी गयी है।

राज्य में चीनी तथा गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य की नई औद्योगिक नीति–2011 के तर्ज पर संशोधित प्रोत्साहन पैकेज–2014 की घोषणा की गई हैं। इसके अंतर्गत न्यूनतम 2500 टी॰सी॰डी॰ की नयी चीनी मिल की स्थापना तथा कार्यरत चीनी मिल का न्यूनतम 1500 टी॰सी॰डी॰ से क्षमता विस्तार करने पर अचल पूँजी निवेश पर 20% अनुदान या 15 करोड़ रूपये की राशि दोनों में से जो कम हो देय होगी। इसी प्रकार न्यूनतम 30 के॰एल॰पी॰डी॰ की क्षमता की नयी डिस्टीलरी/इथेनॉल इकाई की स्थापना तथा कार्यरत डिस्टीलरी/इथेनॉल इकाई का न्यूनतम 15 के॰एल॰पी॰डी॰ से क्षमता विस्तार करने पर अचल पूँजी निवेश पर 20% अनुदान या 5 करोड़ रूपये की राशि दोनों में से जो कम हो देय होगी। इसी प्रकार 10 मेगावाट की नयी सह–विद्युत इकाई की स्थापना तथा कार्यरत सह–विद्युत उत्पादन इकाई न्यूनतम 5 मेगावाट से क्षमता विस्तार पर अचल पूँजी निवेश पर 20% अनुदान या 15 करोड़ रूपये की राशि दोनों में से जो कम हो देय होगी।

माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में राज्य सरकार को गन्ने के मूल्य का निर्धारण की शक्ति नहीं है। इस हेतु ईख अधिनियम के प्रावधानों में वर्ष 2007 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं तथा संशोधन विधेयक पर महामहिम राष्ट्रपति जी के अनुमोदन हेतु केन्द्र सरकार को भेजा गया है, जो प्रक्रियाधीन है। विभाग द्वारा पेराई सत्र 2022–23 एवं अगामी पेराई सत्रों के लिए भी महाधिवक्ता, बिहार का परामर्श प्राप्त कर सरकार द्वारा गन्ना मूल्य निर्धारण करने से संबंधित आदेश निर्गत किया गया था, जिसके विरूद्ध बिहार सुगर मिल्स एसोशिएशन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका दायर किया गया है, जो विचाराधीन है। इस बीच राज्य सरकार का यह प्रयास रहा है कि किसानों को उनके गन्ने का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा किये गये आवश्यक पहल के आलोक में ही बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन द्वारा पेराई सत्र 2021–22 के लिए ईख के गैर अनुशंसित प्रभेद के लिए 285 रू०/क्विंटल, सामान्य प्रभेद के लिए 315 रू०/क्विंटल एवं उत्तम प्रभेद के लिए 335 रू०/क्विंटल के दर की घोषणा की गयी है। पेराई सत्र 2021–22 अंतर्गत चीनी मिलों द्वारा शत–प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। चालू पेराई सत्र 2022–23 के लिए भी शीघ्र गन्ना मूल्य के दर निर्धारण हेतु बिहार सुगर मिल्स एसोशिएशन के साथ विचार विमर्श कर विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

## वर्ष 2022–23 में गन्ना किसानों के हित में चलायी जा रही योजनाएँ–

### A. मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम–

वर्ष 2022–2023 में राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम पर 2878.21 लाख रू० व्यय का प्रावधान किया गया है। इस योजनांतर्गत कार्य अवयववार विस्तृत सूचनायें निम्नवत् हैं–

1. **राज्य में भारतीय ईख अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर द्वारा प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम को प्रोत्साहन राशि @ 2.20 लाख प्रति हे०–** प्रजनक बीज उत्पादन भारतीय ईख अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर द्वारा किया जाएगा। साथ ही ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा के साथ भी एम०ओ०यू० किया जायेगा। इस हेतु 2.20 लाख रू० प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान किया गया है। संबंधित उप/सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जाएगा।

2. **आधार बीज उत्पादन अनुदान–** राज्य में गुणवत्तायुक्त नवीनतम प्रभेद के बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आधार बीज उत्पादन पर अनुदान का प्रावधान किया गया है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र–मोतीपुर/ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा से क्रय किए गए प्रजनक बीज से चीनी मिल क्षेत्र में आधार बीज उत्पादन करने वाले चीनी मिलों एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र में आधार बीज उत्पादन करने वाले कृषि विज्ञान केन्द्र (KVK)/कृषकों को 60,000/– रू० प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान किया गया है। चीनी मिल अपने अथवा लीज पर लिए गए प्रक्षेत्र पर आधार बीज उत्पादन करेगें। चीनी मिल/गैर चीनी मिल क्षेत्र में लगाए गए आधार बीज का पर्यवेक्षण संबंधित के०भी०के० के वैज्ञानिकों द्वारा कराना आवश्यक होगा। चीनी मिल/गैर चीनी मिल क्षेत्र के किसान को आधार बीज का प्रमाणिकरण बिहार राज्य बीज एवं आर्गेनिक प्रमाणन एजेन्सी (बसोका) से कराना अनिवार्य होगा। प्रोत्साहन अनुदान राशि का भुगतान संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालय द्वारा CFMS के माध्यम से किया जाएगा।

3. **प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम @ 50 रू० प्रति क्वींटल–** प्रमाणित बीज उत्पादक (चीनी मिल/वैसे किसान जो चीनी मिल से आधार बीज प्राप्त कर प्रामणित बीज का उत्पादन किये हो) को 50/– रू० प्रति क्वींटल के दर से प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। प्रोत्साहन राशि उन्हें ही देय होगा जिनके नाम से LIR (Last Inspection Report) निर्गत होगा। इसकी जांच कर ही संबंधित चीनी मिल प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु संबंधित सहायक निदेशक,

ईख विकास को सूची आवश्यक कागजात के साथ अग्रसारित करेंगें। चयनित 10 प्रभेदों के उत्पादित बीज को बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी से निबंधन कराना आवश्यक होगा। प्रगतिशील कृषकों द्वारा उत्पादित बीज का निबंधन किसी भी स्थिति में चीनी मिल अपने नाम से नहीं करायेगें तथा चीनी मिल अपने माध्यम से बीज उत्पादक द्वारा उत्पादित बीज का वितरण करायेंगे। चीनी मिल प्रमाणित बीज वितरण के विपत्र प्रस्तुत करते समय बीज प्राप्ति का स्रोत एवं मात्रा की सूची भी सहायक निदेशक को उपलब्ध करायेंगे।

4. **गन्ना के चयनित प्रभेद के बीजों का अनुदानित दर पर वितरण–** राज्य के लिए चयनित गन्ना के 10 प्रभेदों, यथा– CO-0238, CO-0118, CO-98014, COP-9301, CoP-112, CoP-16437 (Rajendra Ganna-I), COLK-94184, CoLK-12207, CoLK-12209 एवं Bo-153 के निबंधित प्रमाणित बीज चीनी मिलों द्वारा किसानों के बीच वितरण किया जाएगा। निबंधित प्रमाणित बीज पर सामान्य कोटि के किसानों को 210/– रू० प्रति क्वींटल तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के किसानों को 240/– रू० प्रति क्वींटल की दर से अनुदान देय है। किसानों द्वारा बीज क्रय हेतु बीज का मूल्य वही होगा जो चीनी मिल द्वारा गन्ना क्रय हेतु सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी से निबंधित चयनित प्रभेदों के उत्पादित प्रमाणित बीज का ही वितरण किया जाएगा। बीज का वितरण ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर किया जाएगा। गन्ना कृषक अनुदान प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालय/चीनी मिल से प्राप्त कर विधिवत् आवश्यक अनुलग्नकों के साथ भरकर संबंधित चीनी मिल में समर्पित करेंगें। अनुदान राशि का भुगतान संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालय के द्वारा CFMS के माध्यम से लाभार्थी को किया जाएगा। एक किसान को योजनांतर्गत अधिकतम 2.50 एकड़ के लिए ही अनुदान देय होगा।

5. **गन्ना के साथ प्रमाणित बीज से मसूर/गर्मा मूंग फसलों की अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान–** गन्ना के साथ प्रमाणित बीज से मसूर/गर्मा मूंग फसलों की अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान बीज मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 800 रू० प्रति एकड की दर से राशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ किसानों को अधिकतम 01 एकड़ के लिए देय होगा।

6. **गन्ना फसल को बोरर कीट एवं अन्य कीटों तथा बीमारियों से बचाव हेतु कीटनाशक दवा के प्रयोग पर गन्ना उत्पादक किसानों को अनुदान–** गन्ना फसल को बोरर कीट एवं अन्य कीटों तथा बीमारियों से बचाव हेतु कीटनाशक दवा के प्रयोग पर उसके मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 2,500 रू० प्रति हे० के दर से गन्ना उत्पादक किसानों को अनुदान भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया

गया है। इस योजना का लाभ किसानों को अधिकतम 2.5 एकड़ (01 हेक्टेयर) के लिए देय होगा। कीटनाशक दवा का क्रय अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता से प्राप्त जी०एस०टी० युक्त अभिश्रव (पूरे वित्तीय वर्ष के अन्दर) पर ही अनुदान अनुमान्य होगा।

7. **जैव उर्वरक/कार्बनिक खाद (बॉयो कम्पोस्ट) के क्रय पर अनुदान–** जैव उर्वरक/कार्बनिक खाद (बॉयो कम्पोस्ट) के क्रय पर अनुदान मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 150 रू० प्रति क्वीं० (25 क्वीं० प्रति हे०) यानि 3750 रू० प्रति हे० के दर से गन्ना उत्पादक किसानों को अनुदान भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ किसानों को अधिकतम 2.5 एकड़ (01 हेक्टेयर) के लिए देय होगा। जैव उर्वरक/कार्बनिक खाद (बॉयो कम्पोस्ट) का क्रय अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता से प्राप्त जी०एस०टी० युक्त अभिश्रव पर ही अनुदान अनुमान्य होगा।

8. **बड चिप/सिंगल बड प)ति से गन्ना रोपाई का प्रत्यक्षण–** बड चिप/सिंगल बड पद्धति से गन्ना रोपाई का प्रत्यक्षण @ 1.50 रू० प्रति पौध अधिकतम 10000 पौध प्रति एकड़ यानि 15,000 रू० प्रति प्रत्यक्षण के दर से राशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ बड चिप/सिंगल बड पद्धति से बीज तैयार करने वाले गन्ना किसानों को देय होगा।

9. **राज्य के बाहर के अनुशंसित गन्ना प्रभेदों का जो इस राज्य के लिए उपयुक्त है का विभिन्न Agro climatic Zone में ट्रायल/परीक्षण @ 20,000 रू० प्रति परीक्षण (0.1 हे०)–** राज्य से बाहर के गन्ना शोध संस्थानों से अन्य प्रदेशों के लिए विकसित गन्ना प्रभेदों का इस राज्य के लिए उपयुक्त हेतु क्षेत्रीय परीक्षण/प्रत्यक्षण के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। 0.1 हेक्टेयर में एक परीक्षण/प्रत्यक्षण किया जाएगा जिसपर कुल 20,000/– रू० व्यय अनुमान्य है। इस योजनांतर्गत Co-15023 (Early), CoLK-14201 (Early), CoS-13235 (Early) एवं Co-12029 का प्रत्यक्षण ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा (समस्तीपुर) के द्वारा बिहार राज्य के विभिन्न Agro Climatic Zone, विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्र के फार्म एवं चीनी मिल के प्रक्षेत्र में कराया जाएगा।

10. **शरदकालीन रोप वर्ष 2022–23 में गन्ना फसल के रकवे में वृद्धि हेतु धान बीज का अनुदानित दर पर वितरण अनुदान–** शरदकालीन रोप वर्ष 2022–23 में गन्ना फसल के रकवे में वृद्धि हेतु धान बीज का अनुदानित दर पर वितरण अनुदान क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 240 रू० प्रति एकड के दर से राशि का प्रावधान किया गया है। इस अवयव के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक–975 दिनांक–25.05.2022 के द्वारा निर्गत दिशानिर्देश के अनुरूप CFMS के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाएगा।

11. **SRI, Pusa द्वारा "Monitoring and Advisory Services for Sugarcane in Bihar (MAAS)" के कार्यान्वयन हेतु प्रथम वर्ष के लिए राशि–** ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा उनके पत्रांक–267 दिनांक– 10.06.2022 के माध्यम से "Monitoring and Advisory Services for Sugarcane in Bihar (MAAS)" के कार्यान्वयन हेतु समर्पित प्रस्ताव के आलोक में कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा गन्ना की खेती करने वाले कृषकों को खूँटी प्रबंधन, कीट व्याधि प्रबंधन, अंतरवर्ती खेती एवं नवीनतम तकनीक इत्यादि की जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि गन्ना का उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हो सके। इस योजना के अनुश्रवण का पूर्ण दायित्व उप निदेशक, ईख विकास, पूसा का होगा। जिसका पर्यवेक्षण ईखायुक्त, बिहार द्वारा नामित विभागीय पदाधिकारी के द्वारा भी किया जाएगा।

12. **एकदिवसीय राज्यस्तरीय सेमिनार/कार्यशाला @ 15.00 लाख रू० प्रति सेमिनार–** गन्ना उत्पादक कृषकों को नवीनतम तकनीक से गन्ना खेती की जानकारी के साथ उनके बौद्धिक संवर्द्धन हेतु 02 एकदिवसीय राज्यस्तरीय सेमिनार/कार्यशाला आयोजित किया जाना प्रावधानित है, जिसके लिए प्रति सेमिनार 15.00 लाख रू० (पन्द्रह लाख रू०) कर्णांकित किया गया है। राज्यस्तरीय सेमिनार एकदिवसीय होगा। सेमिनार का आयोजन सरकार द्वारा चयनित स्थल पर किया जाएगा। राज्यस्तरीय सेमिनार के आयोजन हेतु आयोजक के रूप में ऐसे संस्थान जिन्हें राज्यस्तरीय सेमिनार के आयोजन का पूर्व अनुभव हो, को उनके कार्य अनुभव के आधार पर प्राथमिकता देते हुए उनसे सेमिनार का आयोजन कराया जायेगा।

13. **विभागीय पदाधिकारियों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण–** उप निदेशक, ईख विकास, पटना विभागीय पदाधिकारियों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु समन्वयक पदाधिकारी होंगे। भ्रमण का स्थल यथा– VSI, Pune/SBI, Coimbatore/ SBI, Karnal/SBI, Seorahi/ NSI, Kanpur/IISR, Lucknow एवं अन्य गन्ना संस्थान होगा। उप निदेशक, ईख विकास, पटना विभागीय पदाधिकारियों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु मुख्यालय से प्राप्त पत्र के आलोक में यथानिदेशित संस्थान से समन्वय कर भ्रमण संबंधी प्रस्ताव तैयार कर ईखायुक्त, बिहार को उपलब्ध करायेगें तथा समर्पित प्रस्ताव पर संयुक्त निदेशक, ईख विकास के द्वारा सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। विभागीय पदाधिकारियों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु कुल 25.00 लाख रू० प्रावधानित है।

14. **प्रगतिशील गन्ना कृषकों का अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण–** प्रगतिशील गन्ना कृषकों का अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण–(20 किसानों का दल) 7–10 दिवस के लिए 1500 रू० प्रति किसान प्रति दिन – उप निदेशक, ईख विकास, पटना, मोतिहारी एवं पूसा प्रगतिशील गन्ना कृषकों का अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण हेतु नोडल पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। प्रशिक्षण का स्थल यथा– VSI, Pune/SBI, Coimbatore/SBI, Karnal/SBI, Seorahi/ NSI, Kanpur/IISR, Lucknow एवं अन्य गन्ना संस्थान होगा। उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी एवं पूसा अपने–अपने क्षेत्रांर्गत चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र के प्रगतिशील गन्ना कृषकों तथा उप निदेशक, ईख विकास, पटना अपने क्षेत्रांर्गत प्रगतिशील गन्ना किसानों के अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेगें एवं उसपर ईखायुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। प्रगतिशील किसान का चयन संबंधित चीनी मिल एवं उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी/पूसा द्वारा संयुक्त रूप से तथा उप निदेशक, ईख विकास, पटना द्वारा अपने स्तर से किया जाएगा। 20 किसानों का दल के 7–10 दिवस के लिए एक्सपोजर विजिट हेतु अधिकतम 1500 रू० प्रति किसान प्रति दिन की दर से कुल 18.00 लाख रू० राशि प्रावधानित है।

15. **40 कृषकों के लिए एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण–** 40 गन्ना कृषकों के लिए 14,000 रू०/प्रशिक्षण की दर से कुल 300 एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायत/प्रखण्ड स्तर पर आयोजित किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा एवं मोतीपुर के वैज्ञानिक/के0भी0के0 के वैज्ञानिक/गन्ना उद्योग के पदाधिकारियों/प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी/कृषि समन्वयक द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिसमें प्रशिक्षण हेतु वैज्ञानिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण को संबद्ध कर एक साथ कराया जा सकता है। 100 रू० प्रशिक्षणार्थी भत्ता का भुगतान प्रशिक्षणार्थी को CFMS के माध्यम से किया जाएगा। कृषक प्रशिक्षण एकदिवसीय होगा।

## B. ईख विकास योजनाओं के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं तकनीकी प्रचार प्रसार की योजना–

वर्ष 2022–2023 में राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत ईख विकास योजनाओं के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं तकनीकी प्रचार प्रसार की योजना पर 130.00 लाख रू० व्यय का प्रावधान किया गया है।

**महोदय,**

वर्ष 2021–22 में राज्य में गन्ना की उत्पादकता 49.70 टन प्रति हेक्टेयर हुयी है। साथ ही गन्ना का चीनी रिकवरी 10.84 प्रतिशत एवं आच्छादन रकवा 2.40 लाख हेक्टेयर हुआ है। गन्ना के उत्पादन, उत्पादकता एवं रिकवरी प्रतिशत में वृद्धि के उद्देश्य से मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन एवं इसके साथ राज्य के चीनी मिलों को प्रोत्साहन नीति के तहत आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

**माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार के परिपक्व और कुशल नेतृत्व में सरकार ने चीनी एवं अनुषंगी उत्पादों में बिहार के गौरवपूर्ण इतिहास को पुनः स्थापित करने का बीड़ा उठाया है और हम इसमें आप महानुभावों का पूर्ण सहयोग पाने की पूरी आशा रखते हैं।**

**धन्यवाद!**

**जय हिन्द! जय बिहार!!**

**आलोक कुमार मेहता**
**मंत्री**
**गन्ना उद्योग विभाग, बिहार**

विकास भवन (नया सचिवालय), बेली रोड, पटना–800015
**Vikas Bhawan (New Secretariat), Bailey Road, Patna - 800015**
**कार्यालय (Office)- 0612-2215834, फैक्स– (Office)- 0612-2233120**
**Email- sugarcane.minister@gmail.com**
**Website- https://state.bihar.gov.in/sugarcane/CitizenHome.html**

# विभागीय संगठन

1.1 **मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधिसूचना संख्या–141 दिनांक– 15.01.2006 द्वारा "गन्ना उद्योग विभाग" को एक स्वतंत्र विभाग घोषित किया गया है। इस विभाग के निम्नलिखित कर्त्तव्य हैं :–**

1) ईख अनुसंधान और विकास,
2) ईख आपूर्त्ति, खरीद एवं वितरण का विनियमन,
3) ईख खरीद कर एवं ईख कमीशन का निर्धारण तथा वसूली,
4) चीनी मिलों पर नियंत्रण,
5) बिहार राज्य चीनी निगम का नियंत्रण,
6) गुड़/खांडसारी उद्योग से सम्बन्धित कार्य,
7) ईख विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण,
8) ईख विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार,

1.2 **विभाग में निम्नांकित पदाधिकारी कार्यरत हैं :–**

| | | |
|---|---|---|
| 1) | सरकार के प्रधान सचिव | श्री नर्मदेश्वर लाल, भा॰प्र॰से॰ |
| 2) | ईखायुक्त | श्री गिरिवर दयाल सिंह, भा॰प्र॰से॰ |
| 3) | संयुक्त सचिव | श्री जितेन्द्र प्रसाद साह, बि॰प्र॰से॰ |
| 4) | उप सचिव | श्रीमती पूनम कुमारी, बि॰प्र॰से॰ |
| 5) | संयुक्त निदेशक, ईख विकास | श्री राकेश रंजन, बि॰कृ॰से॰ |
| 6) | संयुक्त ईखायुक्त | श्री जय प्रकाश नारायण सिंह, बि॰ई॰से॰ |
| 7) | सहायक निदेशक, ईख विकास, मुख्यालय | श्री रमेश प्रसाद राउत, बि॰कृ॰से॰ |
| 8) | अवर सचिव | श्री अरूण कुमार (संविदा) |

1.3 **विभाग में मुख्यतः दो प्रभाग हैं :–**

(1) रेगुलेटरी प्रभाग और (2) गन्ना विकास प्रभाग

## 2. रेगुलेटरी प्रभाग से सम्बन्धित कार्य :

राज्य में स्थापित चीनी मिलों के सुचारू रूप से संचालन के लिए पर्याप्त गन्ने की व्यवस्था और प्रत्येक चीनी मिल के लिए क्षेत्र आरक्षण, गन्ना कास्तकारों के हित का संरक्षण यथा उनके गन्ने की कीमत का समय पर भुगतान, गन्ने की माप–तौल का पर्याप्त निरीक्षण, गन्ना क्रय पर क्रय कर का अधिरोपण तथा उसकी समय पर वसूली, कमीशन का निर्धारण एवं वसूली तथा क्षेत्रीय विकास के कार्यों को सम्पादित किया जाता है। ये सारे कार्य बिहार ऊख (आपूर्त्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत होते हैं।

इस विभाग के अन्तर्गत एक उपक्रम **बिहार राज्य चीनी निगम लि॰, पटना** है, जो सरकारी क्षेत्र की चीनी मिलों का कार्य संचालन एवं प्रबंधन करता है। हालांकि सभी सरकारी चीनी मिल वर्ष 1997 के बाद बंद हो गये हैं।

## 2. गन्ना विकास से सम्बन्धित कार्य :

चीनी मिल क्षेत्रों तथा गैर चीनी मिल क्षेत्र में पर्याप्त गन्ना का विकास और उत्पादन अधिक हो, इसके लिए विभिन्न ईख विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन गन्ना विकास प्रभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है।

निदेशालय स्तर पर विभागाध्यक्ष के रूप में ईख आयुक्त, बिहार पदस्थापित होते हैं। कार्य के निष्पादन हेतु मुख्यालय स्तर पर रेगुलेटरी एवं विकास प्रभाग के पदाधिकारी पदस्थापित हैं ।

### रेगुलेटरी प्रभाग (मुख्यालय स्तर)
### (रेगुलेटरी प्रभाग के पदों की संगठनात्मक तालिका)

| क्र०सं० | पदनाम | स्वीकृत | कार्यरत | रिक्ति | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ईखायुक्त, बिहार, पटना | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | संयुक्त ईख आयुक्त, बिहार, पटना | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | सहायक ईख आयुक्त, बिहार, पटना | 1 | 1 | 0 | अपने वेतनमान में |
| 4 | प्रशाखा पदाधिकारी | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | निजी सहायक/आशुलिपिक/आप्त सचिव | 6 | 3 | 3 | |
| 6 | सहायक | 12 | 4 | 8 | |
| 7 | सांख्यिकी सहायक | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | उच्च वर्गीय लिपिक | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | अभिलेखवाह | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | चालक | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | निम्नवर्गीय लिपिक | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | अनुसेवक | 16 | 7 | 9 | |
| | योग | 45 | 21 | 24 | |

## विकास प्रभाग (मुख्यालय स्तर)

### (विकास प्रभाग के पदों की संगठनात्मक तालिका)

| क्र०सं० | पदनाम | स्वीकृत बल | कार्यरत बल | रिक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | संयुक्त निदेशक (विकास) | 1 | 0 | 1 |
| 2 | सहायक निदेशक मु० | 1 | 1 | 0 |
| 3 | गुड़ विकास पदाधिकारी | 1 | 0 | 1 |
| 4 | योजना प्रसार पदाधिकारी | 1 | 0 | 1 |
| 5 | तकनीकी सहायक(कृषि स्नातक) | 2 | 0 | 2 |
| 6 | ईखायुक्त के सचिव | 1 | 0 | 1 |
| 7 | सांख्यिकी पदाधिकारी | 1 | 0 | 1 |
| 8 | प्रशाखा पदाधिकारी | 2 | 0 | 2 |
| 9 | संयुक्त निदेशक (विकास) के निजी सहायक | 1 | 0 | 1 |
| 10 | सहायक | 4 | 0 | 4 |
| 11 | वरीय सांख्यिकी सहायक | 1 | 0 | 1 |
| 12 | निम्न वर्गीय लिपिक | 1 | 0 | 1 |
| 13 | चालक | 2 | 0 | 2 |
| 14 | अनुसेवक | 2 | 0 | 2 |
| | योग– | 21 | 1 | 20 |

## रेगुलेटरी प्रभाग (क्षेत्रीय कार्यालय)

### रेगुलेटरी प्रभाग के पदों की संगठनात्मक तालिका

| क्र०सं० | पदनाम | स्वीकृत बल | कार्यरत बल | रिक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सहायक ईख आयुक्त<br>उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर | 1 | 0 | 1 |
| 2 | विशेष ईख पदाधिकारी | 2 | 1 | 1 |
| 3 | ईख पदाधिकारी | 9 | 6 | 3 |
| 4 | आशुटंकक | 1 | 0 | 1 |
| 5 | लिपिक/निम्नवर्गीय लिपिक | 13 | 4 | 9 |
| 6 | कार्यदर्शक | 2 | 0 | 2 |
| 7 | व्यवस्थापक | 2 | 0 | 2 |
| 8 | अनुसेवक | 24 | 10 | 14 |
| | योग– | 54 | 21 | 33 |

## विकास प्रभाग (क्षेत्रीय कार्यालय)

### विकास प्रभाग के पदों की संगठनात्मक तालिका

| क्र०सं० | पदनाम | स्वीकृत बल | कार्यरत बल | रिक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | उप निदेशक | 3 | 3 | 0 |
| 2 | सहायक निदेशक | 16 | 0 | 16 |
| 3 | ईख परियोजना पदाधिकारी | 48 | 0 | 48 |
| 4 | सहायक ईख परियोजना पदाधिकारी | 22 | 0 | 22 |
| 5 | ईख प्रसार पदाधिकारी | 90 | 0 | 90 |
| 6 | ईख पर्यवेक्षक (कृषि स्नातक) | 2 | 0 | 2 |
| 7 | जनसेवक | 220 | 7 | 213 |
| 8 | क्षेत्र कीट विद् | 3 | 0 | 3 |
| 9 | क्षेत्र व्याधि विद् | 3 | 0 | 3 |
| 10 | सम्पर्क पदाधिकारी (कृषि स्नातक) | 1 | 0 | 1 |
| 11 | पौधा संरक्षण निरीक्षक | 14 | 0 | 14 |
| 12 | कनीय अनुसंधान सहायक | 2 | 0 | 2 |
| 13 | सहायक अनुसंधान पदाधिकारी (कृषि स्नातक) | 2 | 0 | 2 |
| 14 | सांख्यिकी संगणक | 3 | 0 | 3 |
| 15 | आंशु टंकक | 3 | 1 | 2 |
| 16 | लिपिक | 68 | 37 | 31 |
| 17 | बीज उत्पादन सहायक | 52 | 0 | 52 |
| 18 | गतिशील कर्मचारी | 30 | 0 | 30 |
| 19 | क्षेत्र अधीदर्शक | 4 | 0 | 4 |
| 20 | मेकेनिक–सह–बिजली मिस्त्री | 11 | 0 | 11 |
| 21 | जीप चालक | 12 | 3 | 9 |
| 22 | ट्रैक्टर चालक | 7 | 0 | 7 |
| 23 | खलासी | 13 | 0 | 13 |
| 24 | कार्यालय परिचारी | 82 | 35 | 47 |
| 25 | प्रयोगशाला परिचारक | 2 | 0 | 2 |
| 26 | कामदार | 417 | 25 | 392 |
| | योग– | 1130 | 111 | 1019 |

## ईख उत्पादन :

गन्ना राज्य का एक महत्वपूर्ण नगदी एवं वाणिज्यिक फसल है। कृषि आधारित उद्योगों में गन्ना आधारित चीनी उद्योग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। गन्ना आधारित उद्योग के माध्यम से ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराकर गरीबी उन्मूलन की दिशा में सार्थक प्रयास किया जा सकता है। राज्य में अनुकूल मिट्टी एवं जलवायु रहने के बावजूद भी गन्ने का उत्पादन एवं उत्पादकता राष्ट्रीय औसत उत्पादकता से कम है। राज्य में नये चीनी उद्योग की स्थापना, बंद चीनी मिलों को पुनर्जीवित कर गन्ने के आच्छादन में वृद्धि संभव होगा। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा तत्परता से अमलीजामा पहनाने का कार्य किया जा रहा है। उम्मीद है कि आगामी दिनों में इस कार्य में उत्तरोतर वृद्धि होगी। राज्य में गन्ने के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं–

1. **जल जमाव की समस्या :** गन्ना एक वार्षिक फसल है। राज्य में गन्ना के लगभग 10 – 15 प्रतिशत क्षेत्रों में 3 – 4 महीना तक जल जमाव की समस्या बनी रहती है। इन जल–जमाव वाले क्षेत्रों में गन्ना की खेती होने के कारण न केवल उपज बल्कि गन्ने की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल–जमाव के समस्या के निदान एवं नदी–नालों को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु दिनांक–25.11.2022 को आयोजित मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता चतुर्थ कृषि रोड मैप सूत्रण की बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में गन्ना उत्पादन वाले जिलों में जल–जमाव क्षेत्रों के ऑकलन हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति बनायी जाय जिसमें कृषि विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/गन्ना उद्योग विभाग एवं जल संसाधन विभाग सदस्य होंगे। जल–जमाव की समस्या के निदान हेतु सिंचाई एवं जल निस्सरण पर DPR तैयार करने हेतु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना नोडल विभाग है।

2. **सिंचाई सुविधा का अभाव :** गन्ना एकवर्षीय फसल होने के कारण लगभग सभी मौसमों से गुजरना पड़ता है, जिसमें ग्रीष्मकालीन मौसम गन्ने की बढ़वार में अत्यधिक प्रभावित होती है। गन्ने की फसल में लगभग 5–6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। वर्त्तमान में राज्य अन्तर्गत मात्र 40–50 प्रतिशत गन्ना उत्पादन क्षेत्र में ही सिचाई सुविधा उपलब्ध है। इन सिंचाई क्षेत्र में भी औसतन 1 – 2 सिंचाई ही उपलब्ध हो पाता है, क्योंकि अप्रील माह से नहरों में डिसिल्टिंग का कार्य किया जाता है, जिससे ग्रीष्मकालीन माहों में पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है। जबकि इन माहों में गन्ने में सिंचाई की नितान्त आवश्यकता होती है।

3. **विभाग में कार्यबल का अभाव :** ईख विकास की योजनाओं का कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु पर्याप्त पदाधिकारियों/ क्षेत्रीय कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। वर्तमान में ईख विकास के स्वीकृत पदबल के विरूद्ध मात्र 20 प्रतिशत पदाधिकारी/क्षेत्रीय कर्मचारी ही कार्यरत हैं। पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय कर्मचारियों की कमी के कारण योजनाओं के कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण में अत्यधिक कठिनाई होती है। विभाग द्वारा इस दिशा में संविदा पर नियुक्ति करने का सार्थक प्रयास किया जा रहा है।

4. **उन्नतशील प्रभेदों का अभाव :** राज्य में अधिक उपज देने वाली गन्ना के प्रभेद का अभाव है। विभाग द्वारा इस दिशा में ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ, चीनी मिल एवं बीज उत्पादक किसानों से समन्वय कर प्रजनक, आधार बीज तथा प्रमाणित बीज के उत्पादन कार्यक्रम कार्यान्वित कर उन्नतशील गन्ना के चयनित प्रभेदों के विस्तार का सार्थक प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत किसानों को अनुदानित दर पर अधिक ऊपजशील चयनित गन्ना प्रभेद के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

5. **ईख मूल्य भुगतान में विलम्ब :** विगत वर्षो का अनुभव रहा है कि जिस वर्ष गन्ना उत्पादकों को चीनी मिल प्रबंधन द्वारा ईख मूल्य भुगतान में किसी कारणवश विलम्ब किया जाता है तो उसके आने वाले वर्ष में गन्ना आच्छादन का रकबा में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो पाती है। विभाग इसके लिए सचेष्ट हैं एवं गन्ना किसानों को चीनी मिलों द्वारा ससमय ईख मूल्य भुगतान हेतु सार्थक प्रयास किया जा रहा है। विगत पेराई सत्र 2021–22 में चीनी मिलों द्वारा गन्ना कृषकों का शत–प्रतिशत ईख मूल्य का भुगतान कर दिया गया है।

6. **तकनीकी जानकारी एवं प्रचार प्रसार :** गन्ना उत्पादक कृषकों को गन्ना के वैज्ञानिक खेती, कीट एवं रोग– व्याधि नियंत्रण, उन्नत कृषि यंत्र, जैविक खेती से संबंधित तकनीकी जानकारी एवं नये–नये किस्मों की अद्यतन जानकारी के अभाव का भी गन्ना की उत्पादकता पर असर पड़ता है। पिछले कुछ वर्षो से विभाग द्वारा इस दिशा में ठोस प्रयास किया जा रहा है। गन्ना किसानों एवं चीनी मिल के ईख विकास पदाधिकारियों के तकनीकी ज्ञानवर्द्धन हेतु एकदिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।

## ईख अनुसंधान एवं विकास :

किसी भी फसल के समुचित विकास में "अनुसंधान" अत्यंत महत्वपूर्ण है। गन्ना अनुसंधान के क्षेत्र में, राज्य में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर को प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2021–22 में संस्थान द्वारा 35 हे० में लगभग 18,350 क्वींटल प्रजनक बीज का उत्पादन किया गया है। जिसे राज्य के चीनी मिलों एवं किसानों को आधार बीज उत्पादन हेतु वितरित किया जा रहा है।

## चीनी उद्योग :

बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में बिहार में चीनी उद्योग आरम्भ हुआ था। चीनी उद्योग, राज्य का कृषि आधारित पुराना एवं महत्वपूर्ण उद्योग है। ईख बिहार का एक प्रमुख नगदी फसल है। ईख उत्पादन पर ही चीनी उद्योग का विकास एवं भविष्य निर्भर है। लगभग 5 लाख कृषक परिवारों एवं 50 हजार मजदूरों का जीविकोपार्जन इस उद्योग पर निर्भर करता है। 1904 ई॰ से लेकर 1940 ई॰ के बीच, राज्य में कुल 33 चीनी मिलें स्थापित हुई थी। एक समय था, जब देश के चीनी उत्पादन का 40 प्रतिशत बिहार में ही होता था किन्तु अब यह घटकर मात्र 3–4 प्रतिशत तक ही रह गया है। आवश्यकता इस बात की है कि राज्य में गन्ने की खेती को प्रोत्साहित किया जाय और चीनी उद्योग को सहायता देकर इसे लाभप्रद बनाया जाय। राज्य की 28 चीनी मिलों में से 18 चीनी मिलें पूर्णतः रूग्ण होकर बन्द है। निजी क्षेत्र की 02 चीनी मिलें रीगा

विगत तीन पेराई वर्षों से एवं सासामुसा भी विगत दो पेराई वर्षों से परिचालित नहीं हुयी है। वर्तमान में इन दोनों इकाइयों का मामला NCLT कोलकाता बेन्च में लंबित है। वर्तमान में निजी क्षेत्र की 07 चीनी मिलें एवं सार्वजनिक क्षेत्र (भारत सरकार का उपक्रम) की 02 चीनी मिलें लौरिया एवं सुगौली एच०पी०सी०एल० बॉयोफ्यूल्स लि० के अधीन कार्यरत हैं। 18 रूग्ण चीनी मिलों में से 15 चीनी मिलें बिहार राज्य चीनी निगम लि०, पटना के अधीन एवं 03 चीनी मिलें भारत सरकार की उपक्रम बी०आई०सी० ग्रुप की थी। बी०आई०सी० ग्रुप की इकाई बारा चकिया एवं चनपटिया का मामला माननीय उच्च न्यायालय, ईलाहाबाद में लंबित है, जबकि एक इकाई मढ़ौरा का मामला नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, कोलाकाता, बेंच में लंबित है। बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड की शेष बची 08 (आठ) इकाईयों यथा हथुआ (डिस्टीलरी सहित) वारिसलीगंज, गुरारू, गोरौल, सिवान, न्यू सावन, लोहट, बनमंखी एवं उपलब्ध अतिरिक्त फार्म लैण्ड कुल 2442.41 एकड़ भूमि को सरकार के निर्णयानुसार Priority Sector उद्योगों की स्थापना हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) को हस्तांतरित कर दिया गया है।

## राज्य में चीनी मिलों के कार्यकलाप की स्थिति :

पेराई सत्र 2021–22 में राज्य की चीनी मिलों द्वारा 473.09 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई करते हुए औसतन 10.84 प्रतिशत रिकवरी के साथ कुल 45.60 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया है। चालू पेराई वर्ष 2022–23 में कुल 09 चीनी मिलों द्वारा दिनांक–15.02.2023 तक 478.41 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की गयी है। औसतन अबतक 85 दिन मिलें चली एवं 9.22 प्रतिशत रिकवरी से कुल 44.09 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन किया गया है।

## ईख मूल्य :

सरकार का यह प्रयास है कि किसानों को उनके गन्ने का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा किये गये आवश्यक पहल के आलोक में ही बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन द्वारा पेराई सत्र 2021–22 के लिए उत्तम एवं सामान्य प्रभेद के गन्ने पर 20 रू०/क्वीं० एवं निम्न प्रभेद के गन्ने पर 13 रू० प्रति क्वींटल की दर से बढ़ोतरी की गयी थी। इस प्रकार पेराई सत्र 2021–22 में ईख के निम्न प्रभेद के लिए 285 रू०/क्विं०, सामान्य प्रभेद के लिए 315 रू०/क्विंटल एवं उत्तम प्रभेद के लिए 335 रू०/क्विं० के दर से गन्ना मूल्य का निर्धारण किया गया था। पेराई सत्र 2021– 22 अंतर्गत चीनी मिलों द्वारा शत–प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। चालू पेराई सत्र 2022–23 के लिए भी गन्ना मूल्य का निर्धारण शीघ्र करने हेतु बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन के साथ विचार–विमर्श किया जा रहा है।

## ईख क्रय कर :

बिहार ईख अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत चीनी मिलों द्वारा खरीदी गई ईख पर 1.75 रू० प्रति क्विंटल की दर से अधिरोपित ईख क्रय कर की वसूली की जाती थी। पेराई वर्ष 2010–11 से 2018–19 (नौ वर्षों) में खरीदे गये ईख के बावत देय ईख क्रय कर से पूर्णतः विमुक्ति प्रदान की गई है। 1 जुलाई, 2017 से GST लागू हो जाने के पश्चात् पेराई वर्ष 2019–20 एवं अग्रेत्तर वर्षों के लिए भी ईख क्रय कर समाप्त करने की कार्रवाई विभाग द्वारा की जा रही है।

## अनुसूची–I

### पेराई वर्ष 2022–2023 में दिनांक–15.02.2022 तक चीनी मिलों के कार्यकलाप की स्थिति

(आंकड़े लाख क्वींटल में)

| क्र० सं० | चीनी मिलों का संक्षिप्त नाम | स्थापना वर्ष | पेराई ईख क्षमता टी०सी०डी० | पेराई की गई ईख की मात्रा | चीनी उत्पादन की मात्रा | रिकवरी का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | बगहा | 1936 | 8000 | 77.48 | 7.95 | 10.39 |
| 2 | हरिनगर | 1933 | 11500 | 110.24 | 10.47 | 9.58 |
| 3 | नरकटियागंज | 1932 | 7500 | 68.62 | 6.22 | 9.06 |
| 4 | मझौलिया | 1933 | 5000 | 39.87 | 3.23 | 8.20 |
| 5 | गोपालगंज | 1932 | 5000 | 38.74 | 3.59 | 9.49 |
| 6 | सिधवलिया | 1932 | 5000 | 37.19 | 2.90 | 9.53 |
| 7 | हसनपुर | 1934 | 6500 | 42.99 | 4.34 | 10.21 |
| 8 | लौरिया | 1905 | 3500 | 29.30 | 2.49 | 9.03 |
| 9 | सुगौली | 1934 | 3500 | 33.98 | 2.90 | 9.10 |
| | योग :– | | **55500** | **478.41** | **44.09** | **9.22** |

## अनुसूची–II

### चीनी मिलों द्वारा विगत पांच वर्षों में किए गए गन्ना पेराई, चीनी उत्पादन एवं रिकवरी की विवरणी

| क्र० सं० | पेराई सत्र | पेरी गई गन्ने की मात्रा (लाख क्वीं० में) | चीनी उत्पादन (लाख क्वीं० में) | रिकवरी प्रतिशत **(%)** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01. | 2016-17 | 571.14 | 52.48 | 9.19 |
| 02. | 2017-18 | 747.89 | 71.54 | 9.57 |
| 03. | 2018-19 | 810.17 | 84.02 | 10.37 |
| 04. | 2019-20 | 674.05 | 72.29 | 10.72 |
| 05. | 2020-21 | 460.20 | 46.22 | 10.04 |
| 06. | 2021-22 | 473.09 | 45.60 | 9.64 (with BH)<br>10.84 (without BH) |

## अनुसूची–III

### चीनी मिलों की डिस्टीलरी क्षमता एवं वर्षवार इथनॉल के उत्पादन की विवरणी

| क्र० सं० | चीनी मिलों का संक्षिप्त नाम | क्षमता (KLPD) | वर्ष 2018–19 (KL में) | वर्ष 2019–20 (KL में) | वर्ष 2020–21 (KL में) | वर्ष 2021–22 (KL में) | वर्ष 2022–23 (KL में) (दिनांक– 15.02.2023 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01. | हरिनगर | 120 | 30384.41 | 28957.72 | 25594.40 | 22670.00 | 8136.00 |
| 02. | नरकटियागंज | 60 | 18132.36 | 19695.01 | 15243.52 | 20900.24 | 7035.66 |
| 03. | मझौलिया | 45 | 0.00 | 12847.17 | 2069.28 | 8981.38 | 3821.28 |
| 04. | लौरिया | 60 | 4707.96 | 2460.03 | 3450.01 | 4805.00 | 5188.68 |
| 05. | सुगौली | 60 | 4579.33 | 3165.50 | 3725.00 | 4438.55 | 5944.27 |
| 06. | रीगा | 50 | 7779.40 | 370.07 | - | - | - |
| 07. | सिधवलिया | 75 | 4546.46 | 12527.84 | 7493.49 | 16644.24 | 3884.29 |
| | कुल :– | **470.00** | **70129.92** | **80023.34** | **57575.70** | **78439.41** | **34010.18** |

## अनुसूची–IV

### चीनी मिलों की विद्युत उत्पादन क्षमता एवं वर्षवार विद्युत के उत्पादन की विवरणी

| क्र० सं० | चीनीमिलों का संक्षिप्त नाम | क्षमता (MW) | वर्ष 2018–19 (MW में) | वर्ष 2019–20 (MW में) | वर्ष 2020–21 (MW में) | वर्ष 2021–22 (MW में) | वर्ष 2022–23 (MW में) (दिनांक– 15.02.2023 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01. | बगहा | 6 | 50142.90 | 52396.20 | 34726.94 | 37176.02 | 30192.41 |
| 02. | हरिनगर | 14.5 | 94407.00 | 63547.00 | 46090.00 | 43472.00 | 30500.00 |
| 03. | नरकटियागंज | 5 | 45063.41 | 39427.72 | 29158.31 | 30167.22 | 24717.68 |
| 04. | सिधवलिया | 10 | 53865.00 | 41849.90 | 30198.00 | 25230.00 | 22360.00 |
| 05. | हसनपुर | 10 | 31795.00 | 36096.00 | 26995.00 | 29407.88 | 21960.88 |
| 06. | लौरिया | 20 | 0.00 | 27620.00 | 19078.00 | 21172.00 | 23248.00 |
| 07. | सुगौली | 20 | 37449.00 | 15771.00 | 12318.00 | 14267.00 | 25879.81 |
| 08. | रीगा | 3 | - | - | - | - | - |
| | कुल :– | **88.50** | **312722.31** | **276707.82** | **198564.25** | **200892.12** | **178858.78** |

## अनुसूची–V

**पेराई वर्ष 2022–23 में दिनांक–15.02.2023 तक ईख क्रय एवं ईख मूल्य भुगतान की स्थिति**

**(आंकड़े– लाख क्वींटल एवं लाख रूपये में)**

| क्र०सं० | चीनी मिलों का संक्षिप्त नाम | ईख क्रय | ईख मूल्य भुगतेय (गत वर्ष के दर पर) | ईख मूल्य भुगतान | अवशेष | भुगतान का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बगहा | 77.61 | 25495.57 | 25462.87 | 32.70 | 99.87 |
| 2 | हरिनगर | 110.31 | 36444.09 | 36272.32 | 171.77 | 99.53 |
| 3 | नरकटियागंज | 68.66 | 22759.13 | 19138.84 | 3620.29 | 84.09 |
| 4 | मझौलिया | 39.87 | 12990.97 | 10040.80 | 2950.17 | 77.29 |
| 5 | गोपालगंज | 38.75 | 12051.30 | 8030.16 | 4021.14 | 66.63 |
| 6 | सिधवलिया | 37.19 | 12035.94 | 9570.27 | 2465.67 | 79.51 |
| 7 | हसनपुर | 42.99 | 14230.88 | 12099.81 | 2131.07 | 85.03 |
| 8 | लौरिया | 29.31 | 9700.45 | 8282.42 | 1418.03 | 85.38 |
| 9 | सुगौली | 34.08 | 11122.97 | 9420.25 | 1702.72 | 84.69 |
| | **Total** | **478.77** | **156831.30** | **138317.74** | **18513.56** | **88.20** |

## बिहार राज्य चीनी निगम का कार्यकलाप

बिहार राज्य चीनी निगम की स्थापना 28 दिसम्बर, 1974 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य रूग्ण एवं बन्द पड़ी चीनी मिलों का संचालन करना एवं उन्हें पुनर्जीवित करना था। सुगर केन अन्डरटेकिंग्स (एक्वीजीसन) ऐक्ट 1976 एवं बिहार राज्य चीनी उपक्रम (अर्जन) अध्यादेश 1985 के अन्तर्गत 15 बन्द चीनी मिलों यथा– रैयाम, लोहट, सकरी, समस्तीपुर, गोरौल, बनमंखी, वारिसलीगंज, बिहटा, गुरारू, न्यू सावन (सिवान), मोतीपुर, मीरगंज (हथुआ), सिवान, लौरिया एवं सुगौली इकाई का अधिग्रहण किया गया।

वर्ष 1996–97 से बंद चीनी मिलों के कर्मियों एवं राज्य के किसानों एवं मजदूरों के हित में वर्ष 2006 में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि निविदा प्रक्रिया के माध्यम से इन निवेशकों को लीज के आधार पर हस्तांतरित किया जाय। वित्तीय सलाहकार एस0बी0आई (कैप्स) कोलकाता के माध्यम से सम्पादित पांच निविदा प्रक्रियाओं के अंतर्गत कुल सात इकाइयों यथा लौरिया, सुगौली, मोतीपुर, रैयाम, सकरी, बिहटा एवं समस्तीपुर को लम्बी अवधि की लीज पर सफल निवेशक / निविदाकर्ता को हस्तांतरित किया गया। जिसमें लौरिया एवं सुगौली इकाइयों का पुनुरूद्धार हो चुका है एवं दोनो इकाइयाँ Sugar Complex के रूप में विकसित की गई है जिनमें चीनी, बिजली एवं इथेनॉल के उत्पादन

की व्यवस्था है। समस्तीपुर इकाई पर जूट एवं फुड प्रोसेसिंग यूनिट (कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स सहित) की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

रैयाम एवं सकरी इकाई पर गन्ना आधारित उद्योग एवं अन्य उद्योग की स्थापना हेतु मे० तिरहुत इण्डस्ट्रीज लि० को हस्तांतरित की गयी। लीज डीड की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण उक्त दोनों इकाई हेतु निवेशक से किये गये एकरारनामा को रद्द कर दिया गया है। मोतीपुर इकाई पर गन्ना उद्योग हेतु मे० इंडियन पोटाश लि० को तथा बिहटा इकाई पर लॉजिस्टिक–सह–इण्डस्ट्रीयल पार्क की स्थापना के उद्देश्य से प्रिस्टाईन मगध इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रा० लि० को हस्तांरित किया गया। वर्तमान में उक्त दोनों इकाई का मामला माननीय न्यायलय में लंबित है।

निगम की शेष बची आठ इकाइयो यथा हथुआ (डिस्टीलरी सहित), वारिसलीगंज, गुरारू, गोरौल, सीवान, न्यू सावन, लोहट एवं बनमंखी तथा इसके अतिरिक्त फार्मलेंड कुल 2442.41 एकड़ भूमि को सरकार के निर्णयानुसार Priority Sector उद्योगों की स्थापना हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) को हस्तांतरित कर दिया गया है।

## क्षेत्रीय विकास परिषद् का कार्यकलाप

बिहार ईख अधिनियम की धारा–7 के अनुसार प्रत्येक चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय विकास परिषद् का गठन तीन वर्षो की अवधि के लिए किया जाता है।

बिहार ईख अधिनियम की धारा–8 में परिषद् का कार्य निर्धारित है जिसके अंतर्गत चीनी मिल क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था करना, गन्ना की ढुलाई के लिए सड़क का सुधार करना, उन्नत किस्म के ईख बीज वितरण करवाना, ईख फसल पर कीट व्याधि के प्रकोप की रोक–थाम के लिए कीटनाशक दवा का वितरण करवाना आदि है।

बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम–1981, की धारा–48 की उपधारा I के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–एस॰ ओ॰ संख्या–12, दिनांक–17.03.2004 के अनुसार राज्य की चीनी मिलों द्वारा प्रति क्विंटल ईख की खरीद पर वास्तविक रूप से भुगतान की गयी ईख मूल्य की राशि का 1.80 प्रतिशत की दर से क्षेत्रीय विकास परिषद् कमीशन अधिरोपित है। सरकार द्वारा चीनी मिलों को आर्थिक संकट से उबारने के क्रम में समय–समय पर अधिपरोपित क्षेत्रीय विकास परिषद् कमीशन की दर में घटोत्तरी की गई है। विगत कई वर्षो से यह दर 0.20 प्रतिशत रही। चालू पेराई वर्ष 2022–23 में क्षेत्रीय विकास परिषद् कमीशन की दर निर्धारित करने की कार्रवाई की जा रही है।

## अनुसूची–VI

### क्षेत्रीय विकास परिषद का वित्तीय वर्ष 2022–23 का अनुमानित व्यय विवरण

(आँकड़े रू० में)

| क्र० सं० | क्षे० वि० परिषद् का नाम | ईख विकास | | पथ विकास | | स्थापना एवं आकस्मिकता मद में | | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | हरखुआ | 64,00,000.00 | | 18,00,000.00 | | 10,76,547.01 | | |
| 2 | सासामुसा | 63,00,000.00 | | 19,00,000.00 | | 8,48,213.65 | | |
| 3 | सिघवलिया | 71,00,000.00 | | 21,00,000.00 | | 9,61,936.96 | | |
| 4 | सुगौली | 10841050.00 | | 3097443.00 | | 1548721.00 | | |
| 5 | बगहा | – | | – | | – | | |
| 6 | नरकटियागंज | – | | – | | – | | |
| 7 | मंझौलिया | – | | – | | – | | |
| 8 | लौरिया | – | | – | | – | | |
| 9 | हथुआ | – | | – | | – | | |
| 10 | मैरवा | – | | – | | – | | |
| 11 | रामनगर | – | | – | | – | | |
| 12 | न्यू सिवान | – | | – | | – | | |
| 13 | चनपटिया | – | | – | | – | | |
| 14 | मेतिहारी | – | | – | | – | | |
| 15 | रीगा | – | | – | | – | | |
| 16 | चकिया | – | | – | | – | | |
| 17 | एस०के०जी० सिवान | – | | – | | – | | |

### चीनी मिलों एवं यूनिट के अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु राशि में वृद्धि :

कारखाने एवं यूनिट की अनुज्ञप्ति नवीकरण दर वर्ष 1978 से लागू थी, जिसमें संशोधन किया गया है। राज्य के राजस्व में वृद्धि हेतु बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) नियमावली–1978 की नियम–17 के उपनियम– (1) में प्रथम अनुज्ञप्ति शुल्क / अनुज्ञप्ति के नवीकरण शुल्क में विभाग द्वारा संशोधन किया गया है, जो निम्नवत् है :–

(1) कारखाने की अधिभोगी को इन नियमों के अधीन प्रथम अनुज्ञप्ति देने के लिए 50,000 / – रूपये।

(2) किसी कारखाने से संबंधित अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए 50,000 / – रूपये।

(3) किसी यूनिट के स्वामी को इन नियमों के अधीन प्रथम अनुज्ञप्ति देने के लिए 2,000 / –रूपये।

(4) यूनिट से संबंधित अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए 2,000 / –रूपये।

# गन्ना उद्योग विभाग की वर्ष 2005–06 से 2021–22 की मुख्य उपलब्धियाँ

- बिहार राज्य चीनी निगम की बंद इकाईयों को चलाये जाने का प्रयास : बिहार राज्य चीनी निगम के अधीन बन्द पड़े 15 चीनी मिलें एवं 2 डिस्टीलरी इकाई को निजी निवेशकों के माध्यम से पुनर्जीवित करने की दिशा में विभाग द्वारा सार्थक कदम उठाये गये हैं। इस कार्य हेतु एस॰बी॰आई॰ कैप्स को वित्तीय सलाहकार के रूप में मनोनीत करते हुए उनके माध्यम से इन बंद इकाईयों के डाइगोनेस्टिक स्टडी एवं फिजिबिलिटी प्रतिवेदन तैयार करवा कर इन इकाईयों के परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन कार्य भी सम्पन्न कराया गया। एस॰बी॰आई॰ कैप्स द्वारा समर्पित उपरोक्त प्रतिवेदनों के आधार पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप इन बंद इकाईयों को निजी क्षेत्रों के निवेशकों को लीज बन्दोवस्ती के माध्यम से हस्तांतरित कर पुनर्जीवित करने हेतु पांच निविदा प्रक्रियाऐं सम्पन्न की गयी है।
- प्रथम निविदा प्रक्रिया के माध्यम से लौरिया (डिस्टीलरी सहित) एवं सुगौली इकाई को एच॰पी॰सी॰एल॰ बॉयोफ्यूल्स लि0 को हस्तान्तरित किया गया। एच॰पी॰सी॰एल॰ द्वारा उपरोक्त दोनों इकाई स्थलों पर 3500 टी॰सी॰डी॰ क्षमता की चीनी मिल लगाई गई है साथ ही दोनों स्थलों पर उन्हें 60 KLPD की डिस्टीलरी एवं 20 मेगावाट क्षमता की विद्युत सह–उत्पादन इकाई स्थापित करने का भी कार्य किया गया है। इन दोनों स्थलों पर वर्णित गन्ना आधारित उद्योग स्थापित होकर उत्पादन का कार्य प्रारंभ है।
- वित्तीय सलाहकार एस॰बी॰आई॰ कैप्स की सहायता से द्वितीय निविदा आमंत्रण के फलाफल के आधार पर रैयाम एवं सकरी ईकाई को मे0 तिरहुत इन्डस्ट्री लि॰ को हस्तान्तरित की गई। लीज डीड की शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण सकरी एवं रैयाम इकाई हेतु निवेशक से किए गए एकरारनामा को निरस्त करते हुए उनके द्वारा जमा की गई राशि को जब्त कर लिया गया है।
- चीनी निगम की शेष बची इकाईयों को पुनर्जीवित करने हेतु तृतीय निविदा आमंत्रित की गयी। उसके फलाफल के आधार पर मोतीपुर में गन्ना आधारित उद्योग स्थापित करने हेतु मेसर्स इंडियन पोटाश लिमिटेड को हंस्तारित किया गया है। साथ ही बिहटा में Logistic cum Industrial park स्थापित करने हेतु मेसर्स Prestine Magadh Infrastructure Pvt. Ltd. को हस्तांतरित किया गया। वर्तमान में मोतीपुर एवं बिहटा इकाई का मामला न्यायालय में लंबित है। चतुर्थ निविदा प्रक्रिया के फलाफल के आधार पर समस्तीपुर इकाई को जूट एवं फुड प्रोसेसिंग उद्योग के रूप में विकसित करने हेतु मेसर्स विनसम इन्टरनेशनल लि0 कोलकाता को हस्तांतरित किया गया।
- बिहार राज्य चीनी निगम के शेष आठ इकाइयों को पुनर्जीवित करने या उन स्थलों पर अन्य उद्योगों की स्थापना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से SBI Caps के माध्यम से पंचम निविदा आमंत्रित की गयी, पंचम निविदा में सफल निवेशक उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त इकाईयों एवं इससे संबंधित फार्म लैण्ड कुल 2442.41 एकड़ भूमि को सरकार के निर्णयानुसार Priority Sector उद्योगों की स्थापना हेतु बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) को हस्तांतरित कर दिया गया है।
- **प्रोत्साहन पैकेज–2014 :**

  (i) राज्य में चीनी तथा गन्ना आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए एवं प्रोत्साहन पैकेज–2006 को और आकर्षित बनाने हेतु संशोधित प्रोत्साहन पैकेज 2014 की घोषणा की गयी। इसके अन्तर्गत राज्य में न्यूनतम 2500 TCD की स्थापना एवं कार्यरत चीनी मिलों की न्यूनतम 1500 TCD की क्षमता विस्तार को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया। इस निमित्त देय अनुदान के प्रतिशत को भी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया जो अधिकतम 15 करोड़ रूपये तक है।

(ii) न्यूनतम 30 के॰एल॰पी॰डी॰ की क्षमता की नयी डिस्टीलरी/इथेनॉल इकाई की स्थापना तथा कार्यरत डिस्टीलरी/इथेनॉल इकाई का न्यूनतम 15 के॰एल॰पी॰डी॰ से क्षमता विस्तार करने पर अचल पूँजी निवेश पर 20% अनुदान या 5 करोड़ रूपये की राशि दोनों में से जो कम हो देय होगी।

(iii) 10 मेगावाट की नयी सह–विद्युत इकाई की स्थापना तथा कार्यरत सह–विद्युत उत्पादन इकाई न्यूनतम 5 मेगावाट से क्षमता विस्तार पर अचल पूँजी निवेश पर 20% अनुदान या 15 करोड़ रूपये की राशि दोनों में से जो कम हो देय होगी।

(iv) प्रोत्साहन पैकेज 2014 को और अधिक आकर्षित बनाने निवेशकों को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार गन्ना उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति–2023 का प्रारूप तैयार कर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

## कार्यरत चीनी मिलों में प्रगति :

राज्य में कार्यरत चीनी मिलों द्वारा विभिन्न योजनाऐं कार्यान्वित करवायी गई है जिनका विवरण निम्नवत् है।

(i) हरिनगर चीनी मिल द्वारा अपनी डिस्टीलरी क्षमता को 120 के॰एल॰पी॰डी॰ से 140 के॰एल॰पी॰डी॰ विस्तारित किया गया है।

(ii) मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि0 इकाई– हसनपुर चीनी मिल द्वारा अपनी पेराई क्षमता को 5000 टी॰सी॰डी॰ को विस्तारित कर 6500 टी॰सी॰डी॰ कर दिया गया है।

(iii) मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि0 इकाई–भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया द्वारा 75 KLPD क्षमता का नयी डिस्टीलरी की स्थापना की गयी है।

(iv) मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि0 इकाई– न्यू स्वदेशी सुगर मिल, नरकटियागंज एवं भारत सुगर मिल, सिधवलिया द्वारा भी अपनी क्षमता को विस्तारित कर क्रमशः 7500 टी॰सी॰डी॰ एवं 5000 टी॰सी॰डी॰ किया जा चुका है। दोनों इकाईयों में सह–विद्युत उत्पादन इकाई की स्थापना भी की गई है तथा वे राज्य विद्युत बोर्ड को ऊर्जा उपलब्ध करवा रहे हैं।

(v) मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि0 इकाई–न्यू स्वदेशी सुगर मिल, नरकटियागंज द्वारा अपने डिस्टीलरी के क्षमता का 30 के॰एल॰पी॰डी॰ से 60 के॰एल॰पी॰डी॰ तक विस्तारीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा उनके द्वारा इथेनाल का उत्पादन भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

(vi) गोपालगंज एंव मंझौलिया चीनी मिलों द्वारा अपने पेराई क्षमता को 5000 टी0सी0डी0 तक विस्तारित किया गया है तथा चालु पेराई सत्र में विस्तारित क्षमता से गन्ने की पेराई की जा रही हैं।\

(vii) मेसर्स हसनपुर चीनी मिल द्वारा अपने मिल के साथ 10 M.W. विद्युत सह–उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है तथा उनके द्वारा भी अतिरिक्त बिजली की आपूर्ति बिहार विद्युत कम्पनी को की जा रही है।

(viii) मेसर्स मझौलिया चीनी मिल द्वारा 45 KLPD की क्षमता की डिस्टीलरी की स्थापना का कार्य सम्पन्न कर इथेनॉल का उत्पादन किया जा रहा है। साथ ही बगहा चीनी मिल द्वारा 100 KLPD की क्षमता की डिस्टीलरी एवं हरिनगर द्वारा 140 से 200 KLPD डिस्टीलरी की क्षमता को विस्तारित किया जा रहा है।

- **Electronic Transfer के माध्यम से गन्ना मूल्य का भुगतान :** राज्य में गन्ना मूल्य का भुगतान कृषकों को NEFT/RTGS (इलेक्ट्रानिक्स ट्रान्सफर) द्वारा भुगतान करने का सभी मिल को निदेश दिया गया हैं। उसका अनुपालन भी सुनिश्चित कराया जा रहा है। इससे किसानों को ईखापूर्ति एवं मूल्य भुगतान में बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी।

- **चीनी मिल में इथेनाल का उत्पादन :** हरिनगर, मंझौलिया, लौरिया, सुगौली एवं नरकटियागंज चीनी मिलों द्वारा इथेनाल निर्माण प्रारम्भ कर दिया गया है तथा तेल कम्पनियों से एकरारनामा करते हुए उनको इथेनाल की आपूर्त्ति भी प्रारम्भ कर दी गई है। राज्य में होनेवाले देशी शराब के उत्पादन एवं बिक्री पर लगने वाले रोक के आलोक डिस्टीलरियों को उपलब्ध सम्पूर्ण छोआ से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी गयी है। इसके अतिरिक्त नरकटियागंज एवं हरिनगर चीनी मिल के डिस्टीलरी इकाई द्वारा हैण्ड सैनेटाईजर का भी उत्पादन किया जा रहा है।

- **रिफाइंड चीनी का उत्पादन :** सिधवलिया चीनी मिल में वर्ष 2008–09 से रिफाइंड चीनी का उत्पादन आरम्भ हुआ है जो बिहार में पहली और भारत में छठी चीनी मिल है।

- **एक्जीट सेटलमेंट स्कीम :** बिहार राज्य चीनी निगम की इकाईयों के कर्मियों के बकायों के भुगतान एवं ऐच्छिक सेवा निवृति के लिए सरकार द्वारा एक एक्जीट सेटलमेंट स्कीम को स्वीकृत किया गया है। इसके अन्तर्गत लौरिया (डिस्टीलरी सहित), सुगौली एवं रैयाम इकाईयों के कर्मियों के बकायों के भुगतान एवं उन्हें एक्जीट सेटलमेंट का लाभ उपलब्ध कराने की कार्रवाई लगभग समाप्त है। बिहार राज्य चीनी निगम लि० सभी इकाईयों के कर्मियों के बकाये का भुगतान हेतु संबंधित समाहर्ता को राशि उपलब्ध कराया गया है।

- **ईखोत्पादकों को प्रशिक्षण भ्रमण :** ईखोत्पादकों को गन्ना विकास के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराने हेतु इनका दल विभिन्न गन्ना विकास से संबंधित संस्थाओं एवं चीनी मिलों में भेजे जाने का प्रावधान किया जाता है। इस प्रसंग में दल कोयम्बटूर, पूणे, लखनऊ आदि जगहों पर पूर्व में भेजे गये थे और भविष्य में भी आवश्यकतानुसार भेजा जायेगा।

- **फसल बीमा योजनान्तर्गत :** गन्ने के फसल को फसल बीमा योजनान्तर्गत सम्मिलित कराया गया है। बाढ़ के कारण गन्ने के फसल को हुए क्षति के लिए सी०आर०एफ० प्रावधानों के अन्तर्गत प्रभावित किसानों को क्षतिपूर्त्ति की सरकार द्वारा व्यवस्था है।

- घटतौली की शिकायतों की रोक–थाम हेतु जिला पदाधिकारीगण को जिला एवं मुख्यालय स्तर पर धावा दल का गठन कर औचक निरीक्षण करने का विभाग के स्तर से निदेश दिये गये हैं।

- **नवीनतम तकनीकी ज्ञान का प्रसार :** प्रयोगशाला में विकसित नवीनतम तकनीकी ज्ञान प्रसार विधि से किसानों के खेत तक पहुँचता है। नवीन तकनीक को अपना कर किसान आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाते हैं। इससे एक तरफ रोजगार का सृजन होता है तो दूसरी तरफ किसानों की आमदनी में बढ़ोत्तरी भी हो रही है।

- **कम्प्यूटराईजेशन :** सभी सूचनाएं सुलभता पूर्वक उपलब्ध कराने हेतु विभाग को कम्प्यूटराईज किया गया है। मुख्यालय सहित क्षेत्रीय कार्यालयों में भी कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गए हैं।

- **विभागीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण :** विभागीय पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य स्तर पर की जाती है।
- **डाक्यूमेन्टरी फिल्म :** डाक्यूमेन्टरी फिल्म के माध्यम से ग्राम एवं पंचायत स्तर पर किसानों को गन्ना विकास के नये तकनीक एवं प्रोत्साहन पैकेज के तहत मिलने वाले अनुदानों से निवेशकों को अवगत कराया जा रहा है।

उपरोक्त कार्यान्वित किये जा रहे योजनाओं के फलस्वरूप राज्य में गन्ना एवं चीनी उत्पादन में वृद्धि हुई है, जो निम्नांकित विवरणी से स्पष्ट होता है :–

## अनुसूची–VII

| क्र० सं० | योजना इकाई | वर्ष 2019–2020 | | वर्ष 2020–2021 | | वर्ष 2021–2022 | | वर्ष 2022–2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य |
| 1 | गन्ने का क्षेत्र आच्छादन लाख हे० में | 3.15 | 2.96 | 3.00 | 2.69 | 2.70 | 2.40 | 2.60 |
| 2 | गन्ने का उत्पादन (लाख टन में) | 220.50 | 150.65 | 165.00 | 108.55 | 128.00 | 119.28 | 156.00 |
| 3 | गन्ने की उत्पादकता (टन/हे० में) | 70.00 | 50.85 | 55.00 | 40.25 | 60.00 | 49.70 | 60 |
| 4 | पेराई हेतु गन्ने की उपलब्धता (लाख टन में) | 85.00 | 67.41 | 65.00 | 46.02 | 60.00 | 47.31 | 59.55 |
| 5 | चीनी का उत्पादन (लाख टन में) | 9.35 | 7.23 | 7.15 | 4.62 | 6.30 | 4.56 | 5.50 |
| 6 | चीनी प्राप्ति का प्रतिशत | 11.00 | 10.72 | 11.00 | 10.04 | 11.00 | 9.64 (with BH) 10.84 (without BH) | 11.00 |

## अनुसूची–VIII

### वित्तीय वर्ष 2021–2022 एवं 2022–2023 का गैर योजना एवं योजनामद में उपबंध एवं व्यय विवरण

| क्र० सं० | बजट शीर्ष<br>माँग संख्या–45 | 2021–2022 | | 2022–2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | उपबंध | व्यय | उपबंध | व्यय अनुमानित |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| गैर योजना | | | | | |
| 1 | 6860–उपभोक्ता उद्योग के लिये कर्ज, उप मुख्यशीर्ष–04– चीनी लघुशीर्ष–190– सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0001–चीनी फैक्टरियों को उधार विपत्र कोड–एन0 6860041900001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | मुख्यशीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म, उप मुख्य शीर्ष–00– लघुशीर्ष– 108–वाणिज्यिक फसलें मांग संख्या–45, उप शीर्ष–0002–ईख की खेती–विपत्र कोड–एन0 2401001080002 | 110076000 | 98376259 | 131726000 | 131726000 |
| 3 | 3451–सचिवालय आर्थिक सेवाएं उप मुख्यशीर्ष –00 लघुशीर्ष–090 सचिवालय माँग संख्या –45–उपशीर्ष –0002 गन्ना उद्योग विभाग विपत्र कोड–एन 3451000900002 | 22535000 | 15143037 | 200411000 | 200411000 |
| 4 | मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग– उप मुख्यशीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–201 चीनी– माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0002 चीनी निर्माणशाला नियंत्रण ऐक्ट,1937 से संबंधित व्यय जिला । विपत्र कोड–एन० 2852082010002 | 17901000 | 15221940 | 28617000 | 28617000 |
| 5 | मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग– उप मुख्यशीर्ष–08–उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–201 चीनी माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0001 चीनी निर्माणशाला नियंत्रण ऐक्ट,1937 से संबंधित व्यय मुख्यालय विपत्र कोड–एन0 2852082010001 | 20450000 | 1665293 | 50061000 | 50061000 |
| 6 | मुख्यशीर्ष 0852–उद्योग– उप मुख्यशीर्ष–00–सामान्य–लघुशीर्ष–501 सेवायें तथा शीर्ष मद तथा शुल्क समूह शीर्ष राजस्व प्राप्तियां के अंतर्गत माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0001 अन्य प्राप्तियॉ विपत्र कोड–आर0 0852005010001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | मुख्यशीर्ष 0045–वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर्ज– उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–141 गन्ना अधिनियम के अंतर्गत माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0002 गन्ना पर खरीद क्रय अथवा सेल विपत्र कोड–आर0 0045001140002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | मुख्यशीर्ष 6860–उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज, उप मुख्यशीर्ष–04–चीनी, लघुशीर्ष–190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकमों को कर्ज माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0001 –चीनी फैक्टरियों को उधार विपत्र कोड–आर0 6860041900001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | योग (1 से 8) :– | **170962000** | **130406529** | **410815000** | **410815000** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| योजना | | | | | |
| 9 | मुख्यशीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष–00 लघुशीर्ष–108 वाणिज्यिक फसलें, माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0109 ईख विकास विपत्र कोड–पी0 2401001080109 राज्य योजना स्कीम कोड– SUG –5047 | 249000000 | 119995180 | 332000000 | 332000000 |
| | मुख्यशीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म– उप मुख्यशीर्ष–00 लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जाति के लिए– माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0108–ईख विकास विपत्र कोड–पी० 2401007890108– राज्य योजना स्कीम कोड–SUG –5046 | 48000000 | 1368589 | 64000000 | 64000000 |
| | मुख्यशीर्ष 2401– फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष–00 लघुशीर्ष–796–जनजाति क्षेत्रीय– माँग संख्या–45 उपशीर्ष–0129–ईख विकास–विपत्र कोड–पी० 24010007960129– योजना | 3000000 | 779346 | 4000000 | 4000000 |
| 10 | मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–201 चीनी– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 03 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–पी० 2852082010103 राज्य योजना स्कीम कोड– SUG –5048 | 581000000 | 106535885 | 498000000 | 498000000 |
| 11 | मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक– माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 01 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–पी० 2852087890101 राज्य योजना स्कीम कोड– SUG –5048 | 112000000 | 0 | 96000000 | 96000000 |
| 12 | मुख्यशीर्ष 2852–उद्योग उप मुख्यशीर्ष–08 उपभोक्ता उद्योग– लघुशीर्ष–796–जनजातिये क्षेत्र उप योजना–माँग संख्या–45, उप शीर्ष–01 01 आर्थिक सहायता विपत्र कोड–पी० 2852087960101–राज्य योजना स्कीम कोड– SUG –5048 | 7000000 | 0 | 6000000 | 6000000 |
| | योग (9 से 12) :– | **1000000000** | **228679000** | **1000000000** | **1000000000** |

## वर्ष 2022–23 में गन्ना किसानों के हित में चलायी जा रही योजनाओं से संबंधित सूचनायें :

### A. मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम–

वर्ष 2022–2023 में राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम पर 2878.21 लाख रू० व्यय का प्रावधान किया गया है। इस योजनांतर्गत कार्य अवयववार विस्तृत सूचनायें निम्नवत् हैं–

1. राज्य में भारतीय ईख अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर द्वारा प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम को प्रोत्साहन राशि @2.20 लाख प्रति हे०–

   प्रजनक बीज उत्पादन भारतीय ईख अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र मोतीपुर द्वारा किया जाएगा। साथ ही ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा के साथ भी एम०ओ०यू० किया जायेगा। इस हेतु 2.20 लाख रू० प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान किया गया है। संबंधित उप/सहायक निदेशक, ईख विकास द्वारा प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम का अनुश्रवण किया जाएगा।

2. आधार बीज उत्पादन अनुदान– राज्य में गुणवत्तायुक्त नवीनतम प्रभेद के बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आधार बीज उत्पादन पर अनुदान का प्रावधान किया गया है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ क्षेत्रीय केन्द्र–मोतीपुर/ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा से क्रय किए गए प्रजनक बीज से चीनी मिल क्षेत्र में आधार बीज उत्पादन करने वाले चीनी मिलों एवं गैर चीनी मिल क्षेत्र में आधार बीज उत्पादन करने वाले कृषि विज्ञान केन्द्र (KVK)/कृषकों को 60,000/– रू० प्रति हेक्टेयर की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान किया गया है। चीनी मिल अपने अथवा लीज पर लिए गए प्रक्षेत्र पर आधार बीज उत्पादन करेगें। चीनी मिल/गैर चीनी मिल क्षेत्र में लगाए गए आधार बीज का पर्यवेक्षण संबंधित के0वी0के0 के वैज्ञानिकों द्वारा कराना आवश्यक होगा। चीनी मिल/गैर चीनी मिल क्षेत्र के किसान को आधार बीज का प्रमाणिकरण बिहार राज्य बीज एवं आर्गेनिक प्रमाणन एजेन्सी (बसोका) से कराना अनिवार्य होगा। प्रोत्साहन अनुदान राशि का भुगतान संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालय द्वारा CFMS के माध्यम से किया जाएगा।

3. प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम @ 50 रू० प्रति क्वींटल– प्रमाणित बीज उत्पादक (चीनी मिल/वैसे किसान जो चीनी मिल से आधार बीज प्राप्त कर प्रामणित बीज का उत्पादन किये हो) को 50/– रू० प्रति क्वींटल के दर से प्रोत्साहन राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है। प्रोत्साहन राशि उन्हें ही देय होगा जिनके नाम से LIR (Last Inspection Report) निर्गत होगा। इसकी जांच कर ही संबधित चीनी मिल प्रोत्साहन राशि भुगतान हेतु संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास को सूची आवश्यक कागजात के साथ अग्रसारित करेंगें। चयनित 10 प्रभेदों के उत्पादित बीज को बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी से निबंधन कराना आवश्यक होगा। प्रगतिशील कृषकों द्वारा उत्पादित बीज का निबंधन किसी भी स्थिति में चीनी मिल अपने नाम से नहीं करायेगें तथा चीनी मिल अपने माध्यम से बीज उत्पादक द्वारा उत्पादित बीज का वितरण करायेंगे। चीनी मिल प्रमाणित बीज वितरण के विपत्र प्रस्तुत करते समय बीज प्राप्ति का स्रोत एवं मात्रा की सूची भी सहायक निदेशक को उपलब्ध करायेंगे।

4. गन्ना के चयनित प्रभेद के बीजों का अनुदानित दर पर वितरण– राज्य के लिए चयनित गन्ना के 10 प्रभेदों यथा– CO-0238, CO-0118, CO-98014, COP-9301, CoP-112, CoP-16437 (Rajendra Ganna-I), COLK-94184, CoLK-12207, CoLK-12209 एवं Bo-153 के निबंधित प्रमाणित बीज चीनी मिलों द्वारा किसानों के बीच वितरण किया जाएगा। निबंधित प्रमाणित बीज पर सामान्य कोटि के किसानों को 210/– रू० प्रति क्वींटल तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कोटि के किसानों को 240/– रू० प्रति क्वींटल की दर से अनुदान देय है। किसानों द्वारा बीज क्रय हेतु बीज का मूल्य वही होगा जो चीनी मिल द्वारा गन्ना क्रय हेतु सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी से निबंधित चयनित प्रभेदों के उत्पादित प्रमाणित बीज का ही वितरण किया जाएगा। बीज का वितरण ''पहले आओ पहले पाओ'' के आधार पर किया जाएगा। गन्ना कृषक अनुदान प्राप्ति हेतु

आवेदन पत्र संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालय/चीनी मिल से प्राप्त कर विधिवत् आवश्यक अनुलग्नकों के साथ भरकर संबंधित चीनी मिल में समर्पित करेंगें। अनुदान राशि का भुगतान संबंधित सहायक निदेशक, ईख विकास कार्यालय के द्वारा CFMS के माध्यम से लाभार्थी को किया जाएगा। एक किसान को योजनांतर्गत अधिकतम 2.50 एकड़ के लिए ही अनुदान देय होगा।

5. गन्ना के साथ प्रमाणित बीज से मसूर/गर्मा मूंग फसलों की अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान– गन्ना के साथ प्रमाणित बीज से मसूर/गर्मा मूंग फसलों की अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान बीज मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 800 रू० प्रति एकड की दर से राशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ किसानों को अधिकतम 01 एकड़ के लिए देय होगा।

6. गन्ना फसल को बोरर कीट एवं अन्य कीटों तथा बिमारियों से बचाव हेतु कीटनाशक दवा के प्रयोग पर गन्ना उत्पादक किसानों को अनुदान– गन्ना फसल को बोरर कीट एवं अन्य कीटों तथा बिमारियों से बचाव हेतु कीटनाशक दवा के प्रयोग पर उसके मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 2,500 रू० प्रति हे० के दर से गन्ना उत्पादक किसानों को अनुदान भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ किसानों को अधिकतम 2.5 एकड़ (01 हेक्टेयर) के लिए देय होगा। कीटनाशक दवा का क्रय अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता से प्राप्त जी0एस0टी0 युक्त अभिश्रव (पूरे वित्तीय वर्ष के अन्दर) पर ही अनुदान अनुमान्य होगा।

7. जैव उर्वरक/कार्बनिक खाद (बॉयो कम्पोस्ट) के क्रय पर अनुदान– जैव उर्वरक/कार्बनिक खाद (बॉयो कम्पोस्ट) के क्रय पर अनुदान मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 150 रू० प्रति क्वी0 (25 क्वीं० प्रति हे०) यानि 3750 रू० प्रति हे० के दर से गन्ना उत्पादक किसानों को अनुदान भुगतान हेतु राशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ किसानों को अधिकतम 2.5 एकड़ (01 हेक्टेयर) के लिए देय होगा। जैव उर्वरक/कार्बनिक खाद (बॉयो कम्पोस्ट) का क्रय अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता से प्राप्त जी0एस0टी0 युक्त अभिश्रव पर ही अनुदान अनुमान्य होगा।

8. बड चिप/सिंगल बड पद्धति से गन्ना रोपाई का प्रत्यक्षण– बड चिप/सिंगल बड पद्धति से गन्ना रोपाई का प्रत्यक्षण @ 1.50 रू० प्रति पौध अधिकतम 10000 पौध प्रति एकड़ यानि 15,000 रू० प्रति प्रत्यक्षण के दर से राशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना का लाभ बड चिप/सिंगल बड पद्धति से बीज तैयार करने वाले गन्ना किसानों को देय होगा।

9. राज्य के बाहर के अनुशंसित गन्ना प्रभेदों का जो इस राज्य के लिए उपयुक्त है का विभिन्न **Agro climatic Zone** में ट्रायल/परीक्षण @ 20,000 रू० प्रति परीक्षण (0.1 हे०)– राज्य से बाहर के गन्ना शोध संस्थानों से अन्य प्रदेशों के लिए विकसित गन्ना प्रभेदों का इस राज्य के लिए उपयुक्त हेतु क्षेत्रीय परीक्षण/प्रत्यक्षण के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। 0.1 हेक्टेयर में एक परीक्षण/प्रत्यक्षण किया जाएगा जिसपर कुल 20,000/– रू० व्यय अनुमान्य है। इस योजनांतर्गत Co-15023 (Early), CoLK-14201 (Early), CoS-13235 (Early) एवं Co-12029 का प्रत्यक्षण ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा (समस्तीपुर) के द्वारा बिहार राज्य के विभिन्न Agro Climatic Zone, विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्र के फार्म एवं चीनी मिल के प्रक्षेत्र में कराया जाएगा।

10. शरदकालीन रोप वर्ष 2022–23 में गन्ना फसल के रकवे में वृद्धि हेतु धान बीज का अनुदानित दर पर वितरण अनुदान – शरदकालीन रोप वर्ष 2022–23 में गन्ना फसल के रकवे में वृद्धि हेतु धान बीज का अनुदानित दर पर वितरण अनुदान क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 240 रू० प्रति एकड के दर से राशि का प्रावधान किया गया है। इस अवयव के कार्यान्वयन हेतु विभागीय पत्रांक–975 दिनांक–25.05.2022 के द्वारा निर्गत दिशानिर्देश के अनुरूप CFMS के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाएगा।

11. SRI, Pusa द्वारा **"Monitoring and Advisory Services for Sugarcane in Bihar (MAAS)"** के कार्यान्वयन हेतु प्रथम वर्ष के लिए राशि– ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा उनके पत्रांक–267 दिनांक– 10.06.2022 के माध्यम से Monitoring and Advisory Services for Sugarcane in Bihar (MAAS)" के कार्यान्वयन हेतु समर्पित प्रस्ताव के

आलोक में कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा द्वारा गन्ना की खेती करने वाले कृषकों को खूँटी प्रबंधन, कीट व्याधि प्रबंधन, अंतरवर्ती खेती एवं नवीनतम तकनीक इत्यादि की जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि गन्ना का उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हो सके। इस योजना के अनुश्रवण का पूर्ण दायित्व उप निदेशक, ईख विकास, पूसा का होगा। जिसका पर्यवेक्षण ईखायुक्त, बिहार द्वारा नामित विभागीय पदाधिकारी के द्वारा भी किया जाएगा।

12. एकदिवसीय राज्यस्तरीय सेमिनार / कार्यशाला @ 15.00 लाख रू० प्रति सेमिनार – गन्ना उत्पादक कृषकों को नवीनतम तकनीक से गन्ना खेती की जानकारी के साथ उनके बौद्धिक संवर्द्धन हेतु 02 एकदिवसीय राज्यस्तरीय सेमिनार / कार्यशाला आयोजित किया जाना प्रावधानित है, जिसके लिए प्रति सेमिनार 15.00 लाख रू० (पन्द्रह लाख रू०) कर्णांकित किया गया है। राज्यस्तरीय सेमिनार एकदिवसीय होगा। सेमिनार का आयोजन सरकार द्वारा चयनित स्थल पर किया जाएगा। राज्यस्तरीय सेमिनार के आयोजन हेतु आयोजक के रूप में ऐसे संस्थान जिन्हें राज्यस्तरीय सेमिनार के आयोजन का पूर्व अनुभव हो, को उनके कार्य अनुभव के आधार पर प्राथमिकता देते हुए उनसे सेमिनार का आयोजन कराया जायेगा।

13. विभागीय पदाधिकारियों / चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण– उप निदेशक, ईख विकास, पटना विभागीय पदाधिकारियों / चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु समन्वयक पदाधिकारी होंगे। भ्रमण का स्थल यथा– VSI, Pune/SBI, Coimbatore/ SBI, Karnal/SBI, Seorahi/ NSI, Kanpur/IISR, Lucknow एवं अन्य गन्ना संस्थान होगा। उप निदेशक, ईख विकास, पटना विभागीय पदाधिकारियों / चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु मुख्यालय से प्राप्त पत्र के आलोक में यथानिदेशित संस्थान से समन्वय कर भ्रमण संबंधी प्रस्ताव तैयार कर ईखायुक्त, बिहार को उपलब्ध करायेगें तथा समर्पित प्रस्ताव पर संयुक्त निदेशक, ईख विकास के द्वारा सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। विभागीय पदाधिकारियों / चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण हेतु कुल 25.00 लाख रू० प्रावधानित है।

14. प्रगतिशील गन्ना कृषकों का अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण (20 किसानों का दल) 7–10 दिवस के लिए 1500 रू० प्रति किसान प्रति दिन – उप निदेशक, ईख विकास, पटना, मोतिहारी एवं पूसा प्रगतिशील गन्ना कृषकों का अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण हेतु नोडल पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। प्रशिक्षण का स्थल यथा– VSI, Pune/SBI, Coimbatore/SBI, Karnal/SBI, Seorahi/ NSI, Kanpur/IISR, Lucknow एवं अन्य गन्ना संस्थान होगा। उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी एवं पूसा अपने–अपने क्षेत्रांर्गत चीनी मिल के आरक्षित क्षेत्र के प्रगतिशील गन्ना कृषकों तथा उप निदेशक, ईख विकास, पटना अपने क्षेत्रांर्गत प्रगतिशील गन्ना किसानों के अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार करेगें एवं उसपर ईखायुक्त, बिहार का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। प्रगतिशील किसान का चयन संबंधित चीनी मिल एवं उप निदेशक, ईख विकास, मोतिहारी / पूसा द्वारा संयुक्त रूप से तथा उप निदेशक, ईख विकास, पटना द्वारा अपने स्तर से किया जाएगा। 20 किसानों का दल के 7–10 दिवस के लिए एक्सपोजर विजिट हेतु अधिकतम 1500 रू० प्रति किसान प्रति दिन की दर से कुल 18.00 लाख रू० राशि प्रावधानित है।

15. 40 कृषकों के लिए एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण – 40 गन्ना कृषकों के लिए 14,000 रू० / प्रशिक्षण की दर से कुल 300 एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम पंचायत / प्रखण्ड स्तर पर आयोजित किये जाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें ईख अनुसंधान संस्थान, पूसा एवं मोतीपुर के वैज्ञानिक / के०भी०के० के वैज्ञानिक / गन्ना उद्योग के पदाधिकारियों / प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी / कृषि समन्वयक द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिसमें प्रशिक्षण हेतु वैज्ञानिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण को संबद्ध कर एक साथ कराया जा सकता है। 100 रू० प्रशिक्षणार्थी भत्ता का भुगतान प्रशिक्षणार्थी को CFMS के माध्यम से किया जाएगा। कृषक प्रशिक्षण एकदिवसीय होगा।

## B. ईख विकास योजनाओं के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं तकनीकी प्रचार प्रसार की योजना–

वर्ष 2022–2023 में राज्य योजना अंतर्गत कृषि रोड मैप के तहत ईख विकास योजनाओं के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं तकनीकी प्रचार प्रसार की योजना पर 130.00 लाख रू० व्यय का प्रावधान किया गया है।

### अनुसूची–IX

**वित्तीय वर्ष 20241–22 हेतु मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम का आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धि**

| क्र० सं० | कार्य अवयव | ईकाई | स्वीकृत/आवंटित लक्ष्य | | उपलब्धि | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (लाख रू० में) | भौतिक उपलब्धि | वित्तीय उपलब्धि (लाख रू० में) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम– | | | | | |
| 1.1 | राज्य में IISR, Motipur Centre द्वारा प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहन राशि @ 2.20 लाख/हे० | हे० | 35 | 77.00000 | 35 | 77.00000 |
| 1.2 | आधार बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि @ 60,000 रू० प्रति हे० | हे० | 465 | 279.00000 | 299.27 | 179.39050 |
| 1.3 | प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम @ 50 रू०/क्वींटल | क्वी0 | 600000 | 300.00000 | 273449 | 136.72459 |
| 1.4 | गन्ना के चयनित प्रभेदों के प्रमाणित बीज पर क्रय अनुदान @ 210 रू०/क्वी० (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों हेतु 240 रू०/क्वींटल) | क्वी0 | 600000 | 1290.60000 | 276157 | 581.53821 |
| 1.5 | राज्य के बाहर के अनुशंसित गन्ना प्रभेदों का जो इस राज्य के लिए उपयुक्त है का विभिन्न Agroclimatic Zone में ट्रायल/परीक्षण @ 20,000 रू० प्रति परीक्षण (0.1 हे०) | संख्या | 20 | 4.00000 | 9 | 1.80000 |
| 1.6 | गन्ना के साथ प्रमाणित बीज से आलू की अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान बीज मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 12,000 रू० प्रति एकड़ | एकड़ | 625 | 75.00000 | 0 | 0.00000 |
| 1.7 | गन्ना के साथ प्रमाणित बीज से मसूर/गर्मा मूंग फसलों की अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान बीज मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 1,000 रू० प्रति एकड़ | एकड़ | 3190 | 31.90000 | 3063 | 11.86050 |
| 1.8 | गन्ना फसल को बोरर कीट एवं अन्य कीटों तथा बिमारियों से बचाव हेतु कीटनाशक दवा के प्रयोग पर उसके मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 2,500 रू० प्रति हे० के दर से गन्ना उत्पादक किसानों को अनुदान भुगतान | हे० | 6590 | 164.75000 | 1600 | 37.60181 |
| 1.9 | जैव उर्वरक/कार्बनिक खाद (बॉयो कम्पोस्ट) के क्रय पर अनुदान मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 150 रू० प्रति क्वी0 (25 क्वीं० प्रति हे०) यानि 3750 रू० प्रति हे० | हे० | 4100 | 153.75000 | 874 | 31.43849 |
| 1.10 | बड चिप/सिंगल बड पद्धति से गन्ना रोपाई का प्रत्यक्षण @ 1.50 रू० प्रति पौध अधिकतम 10000 पौध प्रति एकड़ यानि 15,000 रू० प्रति प्रत्यक्षण | संख्या | 100 | 15.00000 | 66 | 9.90000 |
| 1.11 | टिशू कल्चर प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण पर अनुदान मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 10.00 लाख रू०/ईकाई | संख्या | 2 | 20.00000 | 0 | 0.00000 |
| 1.12 | गैर चीनी मिल क्षेत्रों के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए क्रशर कराह के क्रय पर अनुदान वास्तविक मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 45,000 रू० प्रति इकाई | संख्या | 20 | 9.00000 | 1 | 0.45000 |
| 1.13 | Design, Development and Implementation of Sugarcane Information development system | — | — | 380.00000 | 0 | 0.00000 |
| | योग (1) – | | | 2800.00000 | | 1067.70410 |
| 2 | प्रशिक्षण कार्यक्रम– | | | | | |
| 2.1 | एकदिवसीय राज्यस्तरीय सेमिनार/ कार्यशाला @ 10.00 लाख रू० प्रति सेमिनार | संख्या | 2 | 20.00000 | 1 | 9.58672 |
| 2.2 | 40 कृषकों के लिए एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण @ 10,000 रू० प्रति प्रशिक्षण | संख्या | 300 | 30.00000 | 226 | 20.18839 |
| | **Total (1+2) -** | | | **2850.00000** | | **1097.47921** |

## अनुसूची–X

### वर्ष 2021–22 हेतु ईख विकास योजनाओं के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं तकनीकी प्रचार प्रसार की योजना का आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धि

| क्र०सं० | कार्य अवयव | भौतिक लक्ष्य (संख्या में) | वित्तीय लक्ष्य (लाख रू० में) | भौतिक उपलब्धि (संख्या में) | वित्तीय उपलब्धि (लाख रू० में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| **1** | विषय शीर्ष– 13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान– | | | | |
| 1.1 | विभागीय पदाधिकारियों को पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु भाड़े की वाहन | 6 | 26.64000 | 6 | 24.11006 |
| 1.2 | गन्ना उद्योग विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु मोबाईल वाहन | 7 | 5.60000 | 6 | 4.69397 |
| 1.3 | विभागीय पदाधिकारियों को पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु अतिरिक्त भ्रमण पर व्यय | -- | 2.76000 | -- | 0.02872 |
| | योग– | | **35.00000** | | **28.83275** |
| | | | | | |
| **2** | विषय शीर्ष– 26 01 विज्ञापन एवं प्रकाशन– | | | | |
| 2.1 | गन्ना के आधुनिक खेती से संबंधित जानकारी के प्रचार–प्रसार हेतु विभागीय लीफलेट/बुकलेट एवं अन्य उपयोगी सामग्रियों का प्रकाशन तथा मुद्रण | -- | 40.00000 | -- | 30.06454 |
| | योग– | | **40.00000** | | **30.06454** |
| | | | | | |
| **3** | विषय शीर्ष– 13 01 कार्यालय व्यय– | | | | |
| 3.1 | योजना का कार्यान्वयन/प्रलेखन/दस्तावेजीकरण/ICT आदि हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को आकस्मिकता | -- | 7.00000 | -- | 6.16023 |
| 3.2 | विशेष परिस्थिति में कार्य हेतु मुख्यालय में आकस्मिकता | -- | 63.00000 | -- | 58.89442 |
| 3.3 | अनुश्रवण निमित BSNL CUG Network अंतर्गत आच्छादित पदाधिकारियों के विपत्रों का भुगतान एवं मुख्यालय में अधिष्ठापित वाई–फाई इण्टरनेट शुल्क का भुगतान | -- | 5.00000 | -- | 0.00000 |
| | योग– | | **75.00000** | | **65.05465** |
| | कुल योग (1+2+3)– | | **150.00000** | | **123.95194** |

## अनुसूची–XI

**वित्तीय वर्ष 2021–22 में बजट शीर्ष–2852 (रेगुलेटरी)**
**अंतर्गत कार्यान्वित राज्य योजनाओं की आवंटित राशि एवं व्यय की विवरणी**

| क्र० सं० | वित्तीय वर्ष | योजना का नाम | संशोधित बजट उपबंध (लाख रू० में) | व्यय की गई राशि (लाख रू० में) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2021–22 | 1. विभागीय संकल्प संख्या–1695 दिनांक–24.07.2015 के आलोक में चीनी मिल द्वारा लिये सॉफ्ट लोन पर वित्तीय वर्ष 2019–20 (पंचम वर्ष) एवं 2020–2 (छठ्ठा वर्ष/अंतिम वर्ष) का सूद की राशि की प्रतिपूति।<br>2. विभागीय प्रोत्साहन पैकेज–2014 के अर्न्तगत अनुदान की प्रतिपूर्ति। | 2000.00 | 1065.35885 |

## अनुसूची–XII

**वित्तीय वर्ष 2021–22 में बजट शीर्ष–2852 (रेगुलेटरी) अंतर्गत**
**कार्यान्वित राज्य योजनाओं की विवरणी**

(राशि लाख रू० में)

| क्र०सं० | वित्तीय वर्ष | योजना का नाम | स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि | व्यय की गई राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2022–23 | विभागीय प्रोत्साहन पैकेज–2014 के अर्न्तगत अनुदान | 6000.00 | 0.00 |
| 2. | | परिवहन अनुदान का भुगतान | | 0.00 |
| | योग– | | **6000.00** | **0.00** |

## अनुसूची–XIII

## वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम का स्वीकृत कार्य योजना

| क्र०सं० | कार्य अवयव | ईकाई | भौतिक लक्ष्य | वित्तीय लक्ष्य (लाख रू० में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | त्रिस्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम– | | | |
| 1.1 | राज्य में IISR, Motipur Centre/SRI, Pusa द्वारा प्रजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु प्रोत्साहन राशि @ 2.20 लाख प्रति हे० | हे० | 35 | 77.00000 |
| 1.2 | आधार बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि @ 60,000 रू० प्रति हे० | हे० | 350 | 210.00000 |
| 1.3 | प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन कार्यक्रम @ 50 रू० प्रति क्वींटल | क्वी0 | 660000 | 330.00000 |
| 1.4 | गन्ना के चयनित प्रभेदों के प्रमाणित बीज पर क्रय अनुदान @ 210 रू०/क्वींटल (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों हेतु 240 रू०/क्वींटल) | क्वी0 | 660000 | 1419.66000 |
| 1.5 | गन्ना के साथ आलू की अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान बीज मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 12,000 रू० प्रति एकड़ | एकड़ | 600 | 72.00000 |
| 1.6 | गन्ना के साथ मसूर/गर्मा मूंग फसलों की अंतरवर्ती खेती हेतु अनुदान अधिकतम 800 रू० प्रति एकड़ | एकड़ | 4500 | 36.00000 |
| 1.7 | गन्ना फसल को बोरर कीट एवं अन्य कीटों तथा बिमारियों से बचाव हेतु कीटनाशक दवा के प्रयोग पर उसके मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 2,500 रू०/हे० के दर से गन्ना उत्पादक किसानों को अनुदान भुगतान | हे० | 10000 | 250.00000 |
| 1.8 | जैव उर्वरक/कार्बनिक खाद (बॉयो कम्पोस्ट) के क्रय पर अनुदान मूल्य का 50% अधिकतम 150 रू०/क्वी० (25 क्वी०/हे०) यानि 3750 रू० /हे० | हे० | 2000 | 75.00000 |
| 1.9 | बड चिप/सिंगल बड पद्धति से नर्सरी तैयार कर गन्ना रोपाई का प्रत्यक्षण (10000 पौध प्रति एकड़) @ अधिकतम 15,000 रू० प्रति प्रत्यक्षण | संख्या | 1500 | 225.00000 |
| 1.10 | राज्य के बाहर के अनुशंसित गन्ना प्रभेदों का जो इस राज्य के लिए उपयुक्त है का विभिन्न Agroclimatic Zone में ट्रायल/परीक्षण @ 20,000 रू० प्रति परीक्षण (0.1 हे०) | संख्या | 20 | 4.00000 |
| 1.11 | 'शरदकालीन रोप वर्ष 2022–23 में गन्ना फसल के रकबे में वृद्धि हेतु धान बीज का अनुदानित दर पर वितरण अनुदान क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 240 रू० प्रति एकड़ | एकड़ | 8600 | 20.64000 |
| 1.12 | SRI, Pusa द्वारा "Monitoring and Advisory Services for Sugarcane in Bihar (MAAS) " के कार्यान्वयन हेतु प्रथम वर्ष के लिए राशि | – | – | 24.46000 |
| 1.13 | सहायक निदेशक, ईख विकास, बगहा कार्यालय द्वारा गत वर्ष 2021–22 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत विभिन्न मदों की तकनीकी कारणों से कोषागार से विपत्र निकासी नहीं होने के कारण वचनबद्ध राशि | – | – | 8.47000 |
| 1.14 | गत वर्ष 2021–22 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत दिनांक–06.03.2022 को बेतिया जिला में निर्धारित राज्यस्तरीय गन्ना किसान संगोष्ठी के विभागीय पत्रांक–465 दिनांक–04.03.2022 के द्वारा अपरिहार्य कारणवश स्थगण के फलस्वरूप आयोजन पूर्व तैयारियों पर विभिन्न मदों में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति | – | – | 10.98000 |
| | योग (1) – | | | **2763.21000** |
| **2** | प्रशिक्षण कार्यक्रम– | | | |
| 2.1 | एकदिवसीय राज्यस्तरीय सेमिनार/कार्यशाला @ 15.00 लाख रू० प्रति सेमिनार | संख्या | 2 | 30.00000 |
| 2.2 | विभागीय पदाधिकारियों/चीनी मिल के प्रतिनिधियों का राज्य के बाहर भ्रमण एवं प्रशिक्षण (भ्रमण का स्थल यथा– VSI, Pune/SBI, Coimbatore/ SBI, Karnal/SBI, Seorahi/ NSI, Kanpur/IISR, Lucknow एवं अन्य गन्ना संस्थान) | – | – | 25.00000 |
| 2.3 | प्रगतिशील गन्ना कृषकों का अंतर्राज्यीय एक्सपोजर विजिट–सह–प्रशिक्षण (20 किसानों का दल) 7–10 दिवस के लिए 1500 रू० प्रति किसान प्रति दिन (प्रशिक्षण स्थल–VSI, Pune/SBI, Coimbatore/SBI, Karnal/SBI, Seorahi/ NSI, Kanpur/IISR, Lucknow एवं अन्य गन्ना संस्थान) | – | – | 18.00000 |
| 2.4 | 40 कृषकों के लिए एकदिवसीय कृषक प्रशिक्षण @ 14,000 रू० प्रति प्रशिक्षण | संख्या | 300 | 42.00000 |
| | **Total (1+2) -** | | | **2878.21000** |
| | (अठाईस करोड अठहत्तर लाख इक्कीस हजार रू०) मात्र। | | | |

# अनुसूची–XIV

## वर्ष 2022–23 हेतु ईख विकास योजनाओं के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं तकनीकी प्रचार प्रसार की योजना का स्वीकृत कार्य योजना

| क्र0सं0 | कार्य अवयव | भौतिक लक्ष्य (संख्या में) | वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1** | विषय शीर्ष– 13 10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान– | | |
| 1.1 | विभागीय पदाधिकारियों को पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु भाड़े की वाहन | 12 | 57.36000 |
| 1.2 | गन्ना उद्योग विभाग द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु मोबाईल वाहन | 7 | 5.60000 |
| 1.3 | विभागीय पदाधिकारियों को पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु अतिरिक्त भ्रमण पर व्यय | ——— | 7.04000 |
| | योग– | | **70.00000** |
| **2** | विषय शीर्ष– 26 01 विज्ञापन एवं प्रकाशन– | | |
| 2.1 | गन्ना के आधुनिक खेती से संबंधित जानकारी के प्रचार–प्रसार हेतु विभागीय लीफलेट/बुकलेट एवं अन्य उपयोगी सामग्रियों का प्रकाशन तथा मुद्रण | ——— | 40.00000 |
| | योग– | | **40.00000** |
| **3** | विषय शीर्ष– 13 01 कार्यालय व्यय– | | |
| 3.1 | योजना का कार्यान्वयन/प्रलेखन/दस्तावेजीकरण/ICT आदि हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों को आकस्मिकता | ——— | 8.35000 |
| 3.2 | विशेष परिस्थिति में कार्य हेतु मुख्यालय में आकस्मिकता/ BSNL CUG Network अंतर्गत आच्छादित पदाधिकारियों के विपत्रों का भुगतान एवं मुख्यालय में अधिष्ठापित वाई–फाई इण्टरनेट शुल्क का भुगतान | ——— | 7.00000 |
| 3.3 | गत वर्ष 2021–22 में दिनांक–22.02.2022 को हुए राज्यस्तरीय सेमिनार में विभिन्न मदों में हुए व्यय का तकनीकी कारणों से कोषागार से विपत्र निकासी नहीं होने के कारण वचनबद्ध राशि | ——— | 4.65000 |
| | योग– | | **20.00000** |
| | कुल योग (1+2+3)– | | **130.00000** |
| | (एक करोड़ तीस लाख रू0) मात्र। | | |

# पूर्व वर्षों में कार्यान्वित योजना की समीक्षा एवं आगामी वर्षों में योजना का लक्ष्य

1. योजना अवधि के दरम्यान कृषि आधारित उद्योगों की बेहतरी और उसके द्वारा गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए विशेष कर ग्रामीण इलाकों में और अधिक रोजगार के मौके सृजित करने पर ध्यान दिया गया है। हालांकि इस क्षेत्र में विकास दर धीमी रही है। राष्ट्रीय औसत के मुकाबले बिहार में गन्ना उत्पादन तथा उत्पादकता कम हैं। इसलिए आम तौर पर दूसरी हरितक्रांति और विशेष कर गन्ना में सकल घरेलु उत्पाद 04 प्रतिशत के आस–पास बढ़ाने की नितान्त आवश्यकता है। कृषि विकास की दर को कम से कम दुगना करने की चुनौती सामने है।
2. विभाग का मुख्य उद्देश्य बिहार में चीनी उद्योग की स्थापना, विकास और विस्तार के लिए उपयुक्त वातावरण निर्माण करना है। इसके लिए सिंचाई से संबंधित आधारभूत संरचना के विकास, जल निकासी, ग्रामीण सम्पर्क सड़क, यातायात, 13 प्रतिशत अपेक्षित स्तर तक चीनी परता, औसत उत्पादकता 90 टन प्रति हे० तक बढ़ाने की शक्ति के साथ–साथ गन्ने की गुणवत्ता एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए वृहत स्तरीय योजना निर्माण की आवश्यकता होगी।
3. वर्त्तमान में, राज्य में 09 चीनी मिलें कार्यरत है, और राज्य सरकार नई चीनी कम्प्लेक्सों को स्थापित करने के लिए प्रयासरत है। चीनी मिलों की पेराई क्षमता में विस्तार करने एवं निजीकरण के माध्यम से बिहार राज्य चीनी निगम के शेष आठ इकाईयों को पुनर्जीवित करने या उन स्थलों पर अन्य उद्योगों की स्थापना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से SBI Caps के माध्यम से पंचम निविदा आमंत्रित की गयी, पंचम निविदा में सफल निवेशक उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त मिलों से संबंधित भूमि पर (Priority Sector) उद्योगों की स्थापना हेतु बियाडा (BIADA) को हस्तांतरण कर दिया गया है।
4. इससे गन्ने की मॉंग में भारी बढ़ोत्तरी होगी और चतुर्थ कृषि रोड मैप अंतर्गत अगले पॉंच वर्षों में गन्ना की खेती बढ़कर लगभग 3.50 लाख हेक्टेयर करने की मंशा है। चीनी के कारखानों, गुड़ तथा खांडसारी उद्योगों को समुचित गन्ना आपूर्त्ति सुनिश्चित करने के लिए और चीनी उत्पादन के अपेक्षित स्तर को प्राप्त करने के लिए गन्ने की खेती में समानुपातिक बढ़ोत्तरी अनिवार्य है। इस प्रकार योजना का अधिभावी बल इस बात पर होगा कि गन्ने की खेती वाले इलाके में आनुपातिक वृद्धि की जाय और गन्ने की उत्पादकता तथा चीनी परता प्राप्ति बढ़ाई जाय।

# संगठनात्मक ढांचा

**मंत्रालय**

**श्री आलोक कुमार मेहता**
**मंत्री**

**श्री नर्मदेश्वर लाल,** भा०प्र०से०
**प्रधान सचिव**

निदेशालय स्तर पर

**श्री गिरिवर दयाल सिंह,** भा.प्र.से.
ईखायुक्त, बिहार (विभागाध्यक्ष)

सरकार स्तर पर

**जितेन्द्र प्र० साह**
संयुक्त सचिव

**श्रीमती पुनम कुमारी**
उप सचिव

**श्री अरूण कुमार**
अवर सचिव

**रेगुलेटरी प्रभाग**

**मुख्यालय**
**श्री जय प्रकाश नारायण सिंह**
संयुक्त ईखायुक्त (बिहार ईख सेवा)
(अति० प्रभार)

1. सहायक ईखायुक्त (मु०)
श्री जय प्रकाश नारायण सिंह

**विकास प्रभाग**

संयुक्त निदेशक (बि०प्र०से०) रिक्त
संयुक्त निदेशक, ईख विकास (बि०कृ०से०)
श्री राकेश रंजन

1. गुड़ विकास पदा.
रिक्त

2. योजना प्रसार पदा.
रिक्त

3. सहायक निदेशक, मु०
श्री रमेश प्रसाद राउत

# क्षेत्रीय कार्यालय

## रेगुलेटरी प्रभाग

| | श्री जय प्रकाश नारायण सिंह<br>सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर। (अति० प्रभार) |
|---|---|
| 1 | **श्री चक्रपाणी दामोदर नारायण**<br>ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर। |
| 2 | **श्री रेमन्त झा,**<br>ईख पदाधिकारी, गोपालगंज। (अति० प्रभार) |
| 3 | **श्री रेमन्त झा,**<br>विशेष ईख पदाधिकारी, गोपालगंज (अति० प्रभार) |
| 4 | **श्री जय प्रकाश नारायण सिंह,**<br>ईख पदाधिकारी, समस्तीपुर। (अति० प्रभार) |
| 5 | **श्री वेदव्रत कुमार,**<br>विशेष ईख पदाधिकारी, पटना |
| 6 | **श्री श्रीराम सिंह,**<br>ईख पदाधिकारी, बेतिया अंचल बेतिया। |
| 7 | **श्री वेदव्रत कुमार,**<br>ईख पदाधिकारी, रामनगर अंचल बेतिया। (अति० प्रभार) |
| 8 | श्री रेमन्त झा,<br>ईख पदाधिकारी, लहेरियासराय |
| 9 | **श्री रेमन्त झा,**<br>ईख पदाधिकारी, पूर्णिया। (अति० प्रभार) |
| 10 | **श्री कुमार कानन,**<br>ईख पदाधिकारी, सिवान। |
| 11 | **श्री राहुल कुमार,**<br>ईख पदाधिकारी, मोतिहारी |

## विकास प्रभाग

| | श्री राकेश रंजन,<br>उप निदेशक, ईख विकास, पटना |
|---|---|
| 1 | **श्री राकेश रंजन,**<br>सहायक निदेशक, पटना (अति० प्रभार) |
| 2 | **श्री राकेश रंजन,**<br>सहायक निदेशक, आरा (अति० प्रभार) |
| 3 | **श्री रमेश प्रसाद राउत,**<br>सहायक निदेशक, जमुई (अति० प्रभार) |
| 4 | **श्री राकेश रंजन,**<br>सहायक निदेशक, गया (अति० प्रभार) |
| 5 | **श्री रमेश प्रसाद राउत,**<br>सहायक निदेशक, भागलपुर (अति० प्रभार) |

| | श्री राम गोविंद सिंह<br>उप निदेशक, पूसा, समस्तीपुर |
|---|---|
| 1 | **श्री राम गोविंद सिंह**<br>सहायक निदेशक, दरभंगा (अति० प्रभार) |
| 2 | **श्री राम गोविंद सिंह**<br>सहायक निदेशक, समस्तीपुर। (अति० प्रभार) |
| 3 | **श्री राम गोविंद सिंह**<br>सहायक निदेशक, सीतामढ़ी (अति० प्रभार) |
| 4 | **श्री राम गोविंद सिंह**<br>सहायक निदेशक, मुजफ्फरपुर (अति० प्रभार) |
| 5 | **श्री राकेश रंजन,**<br>सहायक निदेशक, सहरसा। (अति० प्रभार) |
| 6 | **श्री राकेश रंजन,**<br>सहायक निदेशक, पूर्णियाँ (अति० प्रभार) |

| | श्री कुवंर सिंह<br>उप निदेशक, मोतिहारी |
|---|---|
| 1 | **श्री कुवंर सिंह**<br>सहायक निदेशक, बेतिया। (अति० प्रभार) |
| 2 | **श्री कुवंर सिंह**<br>सहायक निदेशक, बगहा। (अति० प्रभार) |
| 3 | **श्री कुवंर सिंह**<br>सहायक निदेशक, मोतिहारी। (अति० प्रभार) |
| 4 | **श्री राम गोविंद सिंह**<br>सहायक निदेशक, सिवान (अति० प्रभार) |
| 5 | **श्री राम गोविंद सिंह,**<br>सहायक निदेशक, गोपालगंज (अति० प्रभार) |

# गन्ना उद्योग विभाग
## बिहार